अधिकारी लिखित आदेश द्वारा अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक के तहत नोटिस की सेवा की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।"

यह परंतुक के तहत उप-नियम (i) है, जो विचार के लिए प्रासंगिक है।सही संभावना में, यदि नियम पढ़ा जाता है, तो यह पता चलेगा कि यदि व्यवसाय बंद कर दिया गया था, तो निर्धारिती द्वारा बताए गए पते पर निर्धारिती की प्रतिस्थापित सेवा की आवश्यकता थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती पर प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावी बनाने के लिए वैकल्पिक स्थानों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वे लागू होते हैं।प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में यह विवादित नहीं है कि निर्धारिती ने फरीदाबाद में व्यवसाय बंद करने के बाद मूल्यांकन प्राधिकरण को अपना दिल्ली का पता बताया था।निस्संदेह, जैसा कि विवादित आदेशों में उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के दिल्ली के पते पर पंजीकृत नोटिस भेजे गए थे, जो निर्धारिती के उपलब्ध नहीं होने के कारण वापस प्राप्त किए गए थे।हालाँकि, प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित करने के लिए, याचिकाकर्ता के दिल्ली के पते पर नोटिस नहीं भेजे गए थे।इस तरह की सेवा को केवल फरीदाबाद के पते पर लागू करने की मांग की गई थी, जहां स्पष्ट

रूप से याचिकाकर्ता नहीं रह रहा था और उसने व्यवसाय बंद कर दिया था और अधिकारियों को अपने दिल्ली के पते के बारे में सूचित किया था।यदि प्रतिस्थापित सेवा याचिकाकर्ता के दिल्ली पते पर होती, तो शायद हमने हस्तक्षेप नहीं किया होता।इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर मामला लड़ने का एक और अवसर देना उचित समझते हैं, क्योंकि याचिका में आरोप है कि याचिकाकर्ता के पास एसटी-15 ए फॉर्म हैं, जिसके आधार पर वह राहत का दावा कर सकता है; दूसरे शब्दों में, इसे पेश न करने के लिए, मूल्यांकन तैयार किया गया है।इस प्रकार, रिट याचिका को अनुमति देते समय, हम कानून के अनुसार नए निर्णय के लिए मामले को निर्धारण प्राधिकरण, फरीदाबाद को भेजते हैं।याचिकाकर्ता एसटी-15 पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष एक प्रपत्र।दलों को अपने वकील द्वारा से 21 फरवरी, 1994 को वहां उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

जे. एस. टी. '

माननीय आर. पी. सेठी और सतपाल, न्यायाधीश

शांति और अन्य,-याचिकाकर्ता *बनाम*

हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग और अन्य,-उत्तरदाता

1994 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 8584

18जनवरी, 1994

भारत का संविधान-अनुच्छेद 284 और 285-लोक *सेवा आयोग-परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य-परिणाम रद्द करना-इस तरह के रद्द करने की वैधता।*

यह माना गया कि लोक सेवा आयोग का उद्देश्य एक स्वतंत्र निकाय होना था, जो एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और बाहरी विचार के प्रभाव के बिना कार्य करता था, सेवाओं में भर्ती के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता थी।आयोग के सदस्यों का उद्देश्य कार्यपालिका का पक्ष हासिल करना या लगातार नियुक्तियां सुनिश्चित करना नहीं था।उनके पास महान अनुभव और योग्यता होना आवश्यक था।आयोग को कमोबेश स्वायत्त बनाने का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य मूल रूप से योग्यता की मान्यता में सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस विवादित आदेश के द्वारा परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया गया था, उसे अत्यंत लापरवाही और आकस्मिक तरीके से पारित किया गया था।चूक और कमीशन के कृत्यों की संख्या लगभग न के बराबर थी।आयोग के अभिलेख में परिलक्षित अनियमितताएं परीक्षा की कथित उचित गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सामान्य और सामान्य प्रकृति की थीं।मूल परीक्षकों के अलावा अन्य परीक्षकों द्वारा स्क्रिप्ट की संख्या का मूल्यांकन नगण्य था जिसे पूरी परीक्षा को रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था।यदि आयोग के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाते हैं तो इस तरह की चूक या अनियमितताओं से बचा जा

सकता था या उन्हें सुधारा जा सकता था।आयोग का यह दावा कि परीक्षा को रद्द करने का आदेश वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, न्यायाधीश और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के हित में पारित किया गया था, बिना किसी तथ्य के है और आयोग के रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर *से अधिवक्ता सुमन* जैन।

एच. एन. मेहतानी, अधिवक्ता, *उत्तरदाताओं के लिए* संख्या 1 और2.

एस. सी.मोहंता, वरिष्ठ अधिवक्ता (अधिवक्ता आशुतोष मोहंता द्वारा सहायता प्राप्त, *उत्तरदाताओं के लिए* संख्या 3 और4.

राम कुमार मलिक, अधिवक्ता, *प्रतिवादी संख्या 5* के लिए।

सुरिंदर।धल, अधिवक्ता, प्रतिवादी *सं. 6 के* लिए।

जगदेव शर्मा के साथ हरियाणा के महाधिवक्ता एच. एल. सिब्बल।एडल्ट।प्रतिवादी संख्या 8 की *ओर से ए.* जी., सुदर्शन गोयल, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 10 के लिए जे. एस. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता *शैलेंद्र सिंह,* अधिवक्ता के साथ।

प्रत्यर्थी-सचिव के लिए अधिवक्ता *के. के. गुप्ता।*

निर्णय

आर. पी. *सेठी न्यायाधीश*

(1) लोक सेवा आयोगों जैसे संवैधानिक संस्थानों के उद्देश्यपूर्ण कामकाज में हस्तक्षेप को कथित रूप से एक

हमारी राजनीति में बढ़ती प्रवृत्ति और अगर इसे रोका नहीं गया, तो यह न केवल प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, बल्कि निश्चित रूप से हमारे देश में अपनाई गई और प्रचलित संवैधानिक इमारत को जमीन पर गिरा देगा।बाहरी विचार, कथित अनावश्यक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत घमंड सहित विभिन्न कारणों से आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और कार्यपालिका से लाभ या अनुग्रह प्राप्त करने के प्रयासों ने न केवल संवैधानिक न्यायाधिकरण के सुचारू और उचित कामकाज को प्रभावित किया है, बल्कि आम आदमी के बीच असंतोष भी पैदा किया है, जिसे हमारे समाज में प्रचलित संवैधानिक तंत्र में अडिग और अप्रतिबंधित विश्वास है।हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और हरियाणा लोक सेवा आयोग (जिसे बाद में "आयोग" कहा जाता है) के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत कलह की परिणति विवादित आदेश पारित करने में हुई, जिसके द्वारा अक्टूबर, 1993 के महीने में आयोजित उपरोक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया था।विवाद केवल परीक्षा को रद्द करने के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आयोग के सदस्यों के बीच आरोपों और जवाबी आरोपों के निम्नतम स्तर तक पहुंच गया, एक समूह जो अध्यक्ष के खिलाफ तख्तापलट कर रहा था, जिसने कुछ अन्य सदस्यों के साथ इस्तीफा दे दिया था।"सिविल सेवा की गौरवशाली

परंपराओं और उच्चतम मानकों को बनाए रखने" के नाम पर और आयोग की छवि की रक्षा के नाम पर, इसके घटक सदस्यों ने अपमानजनक सदस्यों की तरह व्यवहार किया और सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर गंदगी फेंकी, जो निंदा के अलावा किसी अन्य टिप्पणी के योग्य नहीं है।आयोग और इसके अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों के कामकाज ने न केवल उन उम्मीदवारों के विश्वास को हिला दिया, जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे और जिनके भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने की संभावना है, बल्कि आम आदमी के बीच भी, जिन्हें आयोग को सम्मान और सम्मान के साथ देखना था।आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/एल) में, यह उल्लेख किया गया था कि परीक्षण के बाद, लिपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, उचित समय पर कुंजी/कतरनों को सील न करना और उचित गोपनीयता के पालन को दर्शाने वाली अन्य अनियमितताएं आयोग के संज्ञान में आई थीं, जिसके कारण अक्टूबर, 1993 में आयोजित परीक्षा को रद्द किया जा रहा था और आयोग की कार्रवाई को वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, न्यायाधीश और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के पालन के हित में कहा गया था।

(2) वर्तमान विवाद को संक्षेप में जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि आयोग ने *नवंबर,* 1992 के अंतिम सप्ताह में जारी विज्ञापन सूचना

संख्या 7 परीक्षा 1/92 के माध्यम से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए विभिन्न पदों का विज्ञापन किया था।पदों का विवरण विज्ञापन सूचना में निर्दिष्ट किया गया था।यह उल्लेख किया गया था कि बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साक्षात्कार निर्धारित रिक्तियों के तीन गुना से अधिक नहीं होना था।उन पदों के लिए हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया और परीक्षा दी, जो 2 अक्टूबर, 1993 से शुरू हुई और 15 अक्टूबर, 1993 को समाप्त हुई, सीलबंद उत्तर पुस्तिकाएं उस तारीख तक आयोग के सचिव के कार्यालय में विभिन्न केंद्रों से प्राप्त हुई थीं।यह कहा गया है कि मूल अनुक्रमांक और काल्पनिक अनुक्रमांक को सूचीबद्ध करने की कुंजी अक्टूबर, 1993 के महीने में ही तैयार की गई थी।कुंजी में सूची के अनुसार, मूल अनुक्रमांक के पीछे काल्पनिक अनुक्रमांक दर्ज करने और उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अनुक्रमांक दर्ज करने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की कतरनों को नवंबर और दिसंबर, 1993 के महीनों में हटा दिया गया था।मान लिया जाता है कि इस अवधि के दौरान काल्पनिक अनुक्रमांक वाली उत्तर पुस्तिकाओं को पुरस्कार सूची के लिए प्रोफार्मा के साथ मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को भेजा गया था।फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1994 में आयोग के सचिव द्वारा परीक्षकों से पुरस्कार सूचियों के साथ उचित मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त की गईं।यह कहा गया है कि मार्च और अप्रैल, 1994 के महीनों के दौरान कुल की जांच के लिए चिह्नित उत्तर पुस्तिकाओं (लिपियों) की जांच, उत्तर पुस्तिकाओं के संक्षिप्त सार में अंकों का मिलान, अचिह्नित भागों का पता लगाना,

विभिन्न अनुभागों *से* प्रश्नों का प्रयास करना, उम्मीदवार की पहचान का खुलासा करने के किसी भी प्रयास का पता लगाना और लिपियों में सुधार करना और पुरस्कार सूची भी आयोजित की गई थी।इस अवधि के दौरान, मूल परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं भेजी गईं, जहां प्रयास किए गए प्रश्नों के बचे हुए भागों को चिह्नित करने की आवश्यकता थी।कहा जाता है कि काल्पनिक रोल नंबरों के साथ उम्मीदवार-वार परिणाम कार्ड तैयार करना मई/जून, 1994 में शुरू हुआ था।जून, 1994 के महीने में 45 प्रतिशत और उससे अधिक के अंकों के साथ योग्यता के आधार पर परिणाम कार्ड की व्यवस्था की गई थी।साक्षात्कार के उद्देश्यों के लिए 45 प्रतिशत और उससे अधिक अंकों के साथ योग्य उम्मीदवारों का निर्धारण करने के लिए काल्पनिक अनुक्रमांक के साथ योग्यता सूची तैयार करना भी इस अवधि के दौरान शुरू हुआ।हालाँकि, जब आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद थी, तो इसके सदस्यों के बीच आंतरिक कलह शुरू हो गई थी, जो इस हद तक कायम रही कि पूरी परीक्षा को अंततः *रद्द* कर दिया गया था-याचिकाओं में आक्षेपित आदेश के अनुसार।परीक्षा परिणाम को रद्द करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विवादित आदेश पारित करने की कठोर कार्रवाई एक ओर अध्यक्ष और दूसरी ओर एन-ब्लॉक के सदस्यों के बीच आंतरिक

लड़ाई के कारण हुई थी, जिसे सदस्यों और अध्यक्ष की शिथिलता और अविश्वसनीयता कहा जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयोग के सदस्यों ने काल्पनिक रोल नंबरों की कुंजी की गैर-सीलिंग में हेरफेर किया क्योंकि सदस्यों के रिश्तेदारों की संख्या थी

परीक्षा में उपस्थित हुए और ऐसे सदस्य अपने विशिष्ट प्रकार के पुरस्कारों को जानने के लिए उत्सुक थे।यह भी आरोप लगाया गया है कि लिखित परीक्षा में अपने अंकों के बारे में पता चलने के बाद, उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक काम करने के लिए अध्यक्ष से संपर्क किया।कथित तौर पर, सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपने चरित्र और दयालुता को पसंद नहीं किया और तकनीकी दोषों के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि चाबी को सील नहीं करना आदि। कहा जाता है कि सदस्य पहले ऐसी तकनीकी बातों को लेकर गंभीर नहीं थे।कहा जाता है कि कुछ समय के लिए कुंजी को सील न करने से सही मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है।यह तर्क दिया जाता है कि आयोग के सदस्यों ने ऐसी अराजकता पैदा की थी, जो सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, जिससे यह धारणा बनी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और कुछ नहीं बल्कि "एक डाक विक्रय आयोग" था।कहा जाता है कि इतने उच्च स्तर पर कथित भ्रष्टाचार को सार्वजनिक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष को अपनी त्वचा बचाने के लिए इस्तीफा देना पड़ा था।कुछ अन्य सदस्यों के बारे *में* भी *कहा* गया है कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा चुने गए मार्ग का अनुसरण किया है।पूरी परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया गया है।इस तरह की दुर्भावनाओं

को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों द्वारा समर्थित करने की कोशिश की गई है।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि परीक्षा आयोजित की गई थी , निष्पक्ष तरीके से और छेड़छाड़, यदि कोई हो, परीक्षा के परिणाम भाग से संबंधित।एक वर्ष के बाद और वह भी तकनीकी आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करना अत्यधिक अनुचित माना जाता है।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने और परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए अपने जीवन के दो बहुमूल्य वर्ष बिताए हैं।उनका दावा है कि उनकी कोई गलती नहीं थी और आयोग के सदस्यों द्वारा की गई चूक या गलती के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता था।याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं को नए सिरे से मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए ताकि परीक्षा के संचालन में लगने वाले समय की बचत हो सके।यह आगे तर्क दिया जाता है कि आयोग के पास परीक्षा को रद्द करने का कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया गया था।जिन उम्मीदवारों ने अपनी-अपनी नौकरी से खुद को दूर रखते हुए महीनों तक अपने मध्यरात्रि के दीये जलाए हैं और आयोग की लिखित परीक्षा की तैयारी में पूरे 24 घंटे लगे हुए हैं,

उन्हें एक साल से अधिक समय बीतने के बाद फिर से इसकी तैयारी करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब उनकी कोई गलती न हो।यह प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षा के संचालन के दौरान कभी कोई उंगली नहीं उठाई गई थी और चूंकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई थी, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था।यह भी तर्क दिया जाता है कि आयोग को "राज्य की डाक बिक्री एजेंसी" में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।यह प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त परीक्षा से संबंधित अभिलेखों को जब्त करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाए -

अक्टूबर, 1993 में आयोजित राष्ट्र, और इसे रद्द करने के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए।एच. सी. एस. की उत्तर पुस्तिकाएँ (कार्यकारी शाखा!और अन्य संबद्ध परीक्षाओं को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनर्मूल्यांकन के लिए संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को भेजा जाना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने अनुकरणीय लागत और मुआवजे के लिए अनुरोध किया है।

(3) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (1994 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8584 में) की ओर से दायर लिखित वक्तव्य में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए उनके द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जा सकती है।उपरोक्त प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि अदालत के आदेश के तहत परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है और सील कर दिया गया है, इसलिए लिखित बयान व्यक्तिगत जानकारी या रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा था जो भी आयोग के पास उपलब्ध था।आयोग के अध्यक्ष श्री आई.कहा जाता है कि डी. कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है।विज्ञापन सूचना जारी करना, परीक्षा आयोजित करना और पुनः परिणाम पत्रक तैयार करना, जैसा कि पहले कहा गया है, स्वीकार कर लिया गया है।याचिका में आक्षेपित

आदेश, जिसे लिखित राज्य के साथ संलग्नक आर/एल के रूप में दायर किया गया है, के बोलने, विस्तृत और आत्म-निहित होने का दावा किया जाता है।यह कहा गया है कि उसमें उल्लिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और समग्रता में विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आदेश में बताए गए कारणों के लिए अक्टूबर, 1993 में आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया।यह भी तर्क दिया जाता है कि परीक्षा को रद्द करना कानूनी पवित्रता के बिना नहीं था और इसे मनमाने तरीके से पारित नहीं कहा जा सकता था।यह तर्क दिया जाता है कि सदस्यों और तत्कालीन अध्यक्ष के बीच मतभेदों के कारण परीक्षा को रद्द करने का निर्देश नहीं दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयोग के समक्ष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने विवेक से कार्य करते हुए, समग्रता में विचार करते हुए, और अवलोकन, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, न्यायाधीश और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के हित में अक्टूबर, 1993 में आयोजित एच. सी. एस. परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया-इस याचिका में विवादित आदेश को व्यापक रूप से।याचिकाकर्ताओं के इस कथन को कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, समय बिताया था और अपने मध्यरात्रि के दीपक जलाए थे, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित बताया गया

है।आयोग के "डाक बेचने वाली एजेंसी" होने के आरोप को इस दलील के साथ खारिज कर दिया गया है कि इस तरह के आरोप गलत और निराधार थे।

(4) श्री एल. डी. कटारिया, आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, जो सभी रिट याचिकाओं में एक पक्ष प्रतिवादी हैं, (प्रतिवादी के रूप में शामिल,-सी. एम. *सं.* 8511/1994 के माध्यम से।सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8584/1994,-विस्तृत आदेश दिनांक 27 सितंबर, 1994) में अपने शपथ पत्र में कहा गया है कि नहीं

याचिकाकर्ताओं के कानूनी या गैर-कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जा सकती है।हालांकि, लिखित परीक्षा को रद्द आदेश के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाओं की सभी आवश्यक श्रृंखला की पृष्ठभूमि देते *हुए,* श्री कटारिया ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि आयोग राज्य के भीतर सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण है, जो राज्य सरकार की समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के पदों पर योग्यता के आधार पर चयन आदेश के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य में विशेष सेवा प्रदान कर रहा है।आयोग विभिन्न प्रकार के चयनों में लगा हुआ है, जिसमें पूरे वर्ष हजारों उम्मीदवार शामिल होते हैं।सही आधार पर उचित चयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, चयन में निष्पक्षता सुनिश्चित आदेश के लिए प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।जहां भी चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी होता है, यह सुनिश्चित करना आत्यन्तिक रूप आवश्यक है कि लिखित पत्रों के मूल्यांकन में सख्त गोपनीयता रखी जाए ताकि न तो प्रश्न पत्र और न ही उम्मीदवार ने उत्तर पुस्तिका में जो लिखा है वह किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराया जाए।उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ या पत्रों का रिसाव आयोग की मुख्य चिंता है, जिसके लिए स्थिति की आवश्यकता के आधार पर जटिल प्रक्रियाओं का पालन किया जाता

है।गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों के मूल अनुक्रमांक, जैसा कि वे उत्तर पुस्तिकाओं पर दिखाई देते हैं, मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को भेजे जाने से पहले काल्पनिक अनुक्रमांक के साथ प्रतिस्थापित किए जाते हैं।यह एक कुंजी के आधार पर किया जाता है जिसमें उम्मीदवार की मूल अनुक्रमांक और काल्पनिक अनुक्रमांक होते हैं, जैसा कि मूल अनुक्रमांक के सामने आवंटित किया जाता है जब उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को भेजा जाता है।कुंजी आयोग के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की जाती है।यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तीसरे पक्ष को किसी भी उम्मीदवार की पहचान या उसके उत्तर हुक के बारे में उसके उपस्थित होने के समय और मूल्यांकन किए जाने और परिणाम तैयार करने और संकलित करने के समय के बीच कोई जानकारी न मिले।उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को भेजने से पहले, उत्तर पुस्तिका की शीट के उस हिस्से को हटा दिया जाता है, जिसमें मूल अनुक्रमांक होता है।उम्मीदवार को आवंटित काल्पनिक रोल नंबर को इसके पीछे दर्ज करने के बाद ही इस हिस्से को हटा दिया जाता है।उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर काल्पनिक अनुक्रमांक भी दर्ज किया जाता है, जिसे फिर मूल्यांकन के लिए परीक्षक के पास भेजा जाता है।मूल और काल्पनिक अनुक्रमांक वाली

उत्तर पुस्तिका के हिस्से को 'क्लिपिंग' कहा जाता है, जिसे सचिव द्वारा अपने कर्मचारियों की मदद से हटा दिया जाता है।जब उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से लिखित परिणाम का संकलन तैयार करने की आवश्यकता होती है, तब पूरी कुंजी और क्लिपिंग को आयोग के सचिव द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और क्लिपिंग को खोलने की आवश्यकता होती है।जब लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाता है।

योग्यता के किसी भी आदेश को अधिसूचित नहीं किया जाता है, ताकि साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा न हो।यहां तक कि अध्यक्ष सहित आयोग के सदस्यों को भी किसी भी उम्मीदवार के लिखित प्रदर्शन के बारे में जानकारी तक कोई पहुंच नहीं है, जिसे साक्षात्कार में उपस्थित होना है, क्योंकि अन्यथा किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ पूर्वाग्रह की आशंका है, जिससे भाई-भतीजावाद या इस तरह के कदाचार की संभावना हो सकती है।परीक्षण में, जो इन रिट याचिकाओं में विवाद का मूल है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कमोबेश मई, 1994 के महीने तक पूरा हो गया था. जब उत्तर पुस्तिकाएं आयोग के कार्यालय में वापस प्राप्त की गई थीं।ऐसे समय में जब सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से लिखित परीक्षा का परिणाम पूरा किया जा रहा था, आयोग के दो सदस्यों, श्री शेर सिंह और श्री उदे राम पर आरोप है कि उन्होंने कुछ उम्मीदवारों के चयन में मदद करने के लिए प्रतिनिधि से संपर्क किया था।ऐसे उम्मीदवारों में से एक श्री शेर सिंह के भतीजे से संबंधित था।तत्कालीन सभापति का दावा है कि उन्होंने इस अस्वास्थ्यकर दृष्टिकोण का विरोध किया, जिसके कारण उन दोनों सदस्यों की ओर से किसी प्रकार की हताशा और शत्रुता पैदा हुई।अध्यक्ष

को प्रभावित करने का प्रयास पहली बार अक्टूबर, 1993 में किया गया था, जब लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और उन दो सदस्यों को बाध्य करने में उनकी असमर्थता पर, उपरोक्त दो सदस्यों द्वारा कुछ कड़वाहट और शत्रुता का प्रदर्शन किया गया था, जिन्होंने आयोग के तत्कालीन सचिव श्री तुली को भी उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अवैध तरीके से मदद करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी, जिसका उन्होंने भी विरोध किया था।कुंजी और कतरनों को परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका भेजने के बाद आयोग के सचिव द्वारा सील किया जाना था।इस तरह का दायित्व दिसंबर, 1993 के मध्य में पूरा किया गया था।आरोप है कि उपरोक्त दो सदस्यों को किसी तरह यह जानकारी हो गई थी कि सचिव ने काल्पनिक और वास्तविक अनुक्रमांक की चाबी को सीलबंद लिफाफे में डालने के बजाय ऐसा नहीं किया था जैसा कि पहले किया जाता था और उन्होंने 29 दिसंबर, 1993 को आयोजित आयोग की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था।आयोग के तत्कालीन सचिव श्री तुली को इस जानकारी को सत्यापित करने के लिए बुलाया गया था कि क्या चाबी को सील नहीं किया गया था या नहीं।श्री तुली ने आयोग के सदस्यों को सूचित किया कि उन्होंने केव को सुरक्षित हिरासत में रखा है, जो उनकी अलमारी में उनके निजी बंद डिब्बे में पड़ा था।उन्होंने इस

बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति की उनकी अलमारी तक पहुंच नहीं थी।उसे चाबी लाने के लिए कहा गया, जिसे लाने पर बंद डिब्बे में पाया गया।जैसा कि उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन उन्हें सीलबंद लिफाफे में नहीं रखा गया था।सभापति द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई और चाबी को एक सीलबंद लिफाफे में रखने की सलाह दी गई, जो आयोग के सभी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया था।कहा जाता है कि सभी सदस्य संतुष्ट हो गए और विवाद समाप्त हो गया।सभापति का दावा है कि वह संतुष्ट थे कि उपरोक्त -सचिव की ओर से मिशन केवल एक तकनीकी चूक थी और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि गोपनीयता का कोई उल्लंघन हुआ था।सभापति लिखित परीक्षा की निष्पक्षता से आश्वस्त थे।कहा जाता है कि अध्यक्ष का ऐसा मूल्यांकन जून, 1994 तक अपरिवर्तित रहा, जब उन्होंने आयोग से इस्तीफा दे दिया।उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि दोनों सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति उनके प्रतिरोध के कारण, उनके और आयोग के तत्कालीन सचिव के खिलाफ अचानक शत्रुता की भावना पैदा हो गई थी।अंततः यह स्थिति 21 जून, 1994 को आ गई जब आयोग के नए सचिव श्री झा एक प्रतिबंधित अवकाश होने के कारण छुट्टी पर थे।नियंत्रक परीक्षा उस दिन सचिव की अभाव के दौरान उनका काम देख

रही थी।आयोग के सभी छह सदस्यों (अध्यक्ष को छोड़कर) ने परीक्षा नियंत्रक को बुलाया और उन्हें काल्पनिक और वास्तविक अनुक्रमांक की कुंजी के साथ-साथ सभी उत्तर पुस्तिकाओं की कतरनें लाने के लिए कहा, जो काल्पनिक और वास्तविक अनुक्रमांक दिखाएँ।यह मामला सभापति के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने उपरोक्त सदस्यों को लिखित रूप में सलाह दी कि चाबी सचिव की अभिरक्षा में है और जब सचिव छुट्टी से वापस आता है तो सीलबंद चाबी उनके द्वारा देखी जा सकती है और रिकॉर्ड को गोपनीयता के हित में नहीं खोला जाना चाहिए और नहीं देखा जाना चाहिए।इस पर उपरोक्त सभी छह सदस्यों ने अध्यक्ष को एक लिखित नोट भेजा, जिसअन्य बातों के साथ साथ अन्य ध्यान देंो के साथ-साथ कहा गया कि कुंजी और कतरनों से संबंधित अभिलेख का प्रस्तुत न करना दर्शाता है कि लिखित परिणाम के संकलन *अन्य बातों* के साथ साथ कोई गोपनीयता नहीं रखी गई थी।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष और सचिव को गोपनीयता के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के बारे में पता था।उन्होंने लेखन में यह भी संकेत दिया कि ऐसी स्थिति पैदा होने के कारण, वे परिणाम की तैयारी और घोषणा में पक्षकार नहीं होंगे और चाहेंगे कि एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) आयोजित परीक्षा रद्द कर

दी जाती है।अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि "यह एक शानदार और एक झूठा आरोप था।जैसा कि पहले कहा गया है, न तो आयोग के सदस्यों और न ही अध्यक्ष को किसी भी उम्मीदवार के लिखित प्रदर्शन के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए।यह केवल काल्पनिक और मूल रोल नंबरों (क्लिपिंग और चाबी सहित) के रिकॉर्ड को सदस्यों तक पहुंच के बिना सुरक्षित हिरासत में रखकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है।कहा जाता है कि उपरोक्त सदस्यों ने अन्य चार सदस्यों को बिना किसी आधार के यह विश्वास करने के लिए प्रभावित किया कि लिखित परीक्षा के संकलन में कुछ कदाचार हुआ है, जिसकी प्रक्रिया उस समय भी जारी थी।सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य के लिए योग्यता सूची को अंतिम रूप देने का कोई सवाल ही नहीं था, जब तक कि सीलबंद लिफाफा, जिसमें कतरनें या केव शामिल थे, खोला नहीं जाता और आवश्यक तुलना नहीं की जाती।आयोग के छह सदस्यों का यह ध्यान दें अध्यक्ष को प्राप्त हुआ।

21 जून, 1994 की शाम और उस समय तक सभी उपरोक्त छह सदस्य आयोग के कार्यालय से निकल चुके थे क्योंकि आम तौर पर वे व्यवहार के अनुसार दोपहर के भोजन के बाद कार्यालय नहीं जाते थे।22 जून, 1994 को प्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष और कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं आयोग के सदस्यों के 21 जून, 1994 के ध्यान दें में लगाए गए आरोपों को प्रेस समाचार-आइटम में दोहराया गया था।सभापति का दावा है कि उन्होंने 23 जून, 1994 को फिर से चर्चा द्वारा मामले को हल करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे।उन्होंने उस दिन कथित क्षति को दूर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो प्रेस में समाचार के प्रकाशन से हुई थी।उन्होंने तर्क दिया कि प्रेस में जाने से पहले, सदस्यों के लिए अंतिम प्रयास किया गया था कि वे जो भी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उसे देखने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से दिलचस्पी थी कि हजारों उम्मीदवारों द्वारा की गई सारी मेहनत को परिणाम को रद्द करने से बर्बाद न किया जाए, जो कि एकमात्र विकल्प बचा था।लेकिन सदस्यों ने कोई जवाब नहीं दिया।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि काल्पनिक अनुक्रमांक के आधार पर परिणाम का संकलन सचिव द्वारा अपने कर्मचारियों की मदद से किया जाता है और यह न तो

अध्यक्ष का काम है और न ही किसी सदस्य का।हालाँकि, सचिव को जब भी आवश्यक हो दिशानिर्देश या आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।आयोग के छह सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और बिना किसी आधार के आरोप कहा जाता है।उन्होंने महसूस किया कि यह जनता के हित में होगा कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नई प्रक्रिया शुरू की जाए क्योंकि इस मामले में उनके पास कोई विकल्प नहीं था।सभापति के पास सदस्यों को कारण देखने और पद से हटने के लिए कहने का कोई रास्ता नहीं बचा था, जो उन्होंने लिया था कि परिणाम को शून्य घोषित किया जाए।अनुचित विवाद को शांत करने के लिए, सभापति को इन याचिकाओं में विवादित आदेश पारित करना पड़ा।उन्होंने आरोप लगाया है कि "आयोग के कुछ सदस्यों के लापरवाह व्यवहार और एक संस्था के रूप में आयोग की प्रतिष्ठा के साथ किए गए भारी अपमान से निराश और नाखुश महसूस करते हुए, उन्होंने 30 जून, 1994 को अपने पद को सही साबित करने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल ने विधिवत स्वीकार कर लिया था।उन्होंने अपनी स्थिति को सही ठहराते हुए एक प्रेस ध्यान दें भी जारी किया।सभापति द्वारा आगे यह बयान दिया जाता है कि "आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी एक विशेष जिम्मेदारी और भूमिका थी कि वे

यह देखें कि लिखित परीक्षा का परिणाम जिसमें हजारों युवा उम्मीदवार शामिल थे, व्यापक हताशा को दूर करने के लिए रद्द नहीं किया गया है।प्रतिवादी जनता की पूर्व संध्या पर परीक्षा की गोपनीयता और परीक्षा की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति भी सचेत था।साथ ही वे इस बात से भी अवगत थे कि आयोग के सदस्यों के प्रति वास्तविक संदेह को उचित रूप से दूर किया जाना चाहिए।जवाब देने वाला प्रतिवादी मूल रूप से

यह हमेशा से स्पष्ट था कि गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जो रद्द करने जैसे कठोर कदम को सही ठहराता है!जिस परीक्षा को 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से 21 जून, 1994 को ही ऐसे आधारों पर करने का निर्णय लिया था, जिन्हें पहले ही हल कर लिया गया था, जैसे कि 29 दिसंबर, 1994 को ही कुंजी को सील कर दिया गया था।तब से लिखित परीक्षा की गोपनीयता के उल्लंघन के संबंध में दृष्टिकोण या धारणा में किसी भी बदलाव को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं हुआ था।हालाँकि, जब सभी प्रयास सदस्यों को मामले को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मनाने में विफल रहे, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है या 23 जून, 1994 को सदस्यों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए नकारात्मक रवैये को ध्यान में रखते हुए अनुचित लाभ उठाया गया है, तो प्रतिवादी प्रतिवादी के पास लिखित परीक्षा को रद्द करने के लिए अपनी सहमति की मुहर लगाने का निर्णय लेने के अलावा बहुत कम विकल्प बचा था।यह आगे तर्क दिया जाता है कि सदस्यों ने निम्नलिखित कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया थाः–

> “(क) परीक्षक द्वारा भेजी गई कुछ पुरस्कार सूचियाँ जिन्हें पहले आयोग के सचिव के साथ दो सदस्यों ऊधो राम और वी. एस.

चौधरी के हस्ताक्षर के तहत सील कर दिया गया था, इन दो सदस्यों की पूर्व मंजूरी के बिना अध्यक्ष के आदेश पर खोली गई थीं।

(b) कुछ उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के उन भागों पर पूरक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से मूल पेपर सेटर्स के अलावा अन्य परीक्षकों का उपयोग, जिनका गलती से मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(c) उस उत्तर पुस्तिका का आदान-प्रदान किया गया था और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को जोड़ा/बदला गया था।"

(5)इन सभी आरोपों को झूठा, तुच्छ और निराधार बताया गया है।उन्होंने आगे कहा है कि फरवरी, 1994 में श्री ऊधो राम और श्री वी. एस. चौधरी, जो एच. सी. एस. परीक्षा के विषय से संबंधित सदस्य और सह-सदस्य हैं, ने पुरस्कार सूचियों को सील करने पर जोर दिया ताकि तत्कालीन सदस्यों का इस लिखित परीक्षा परिणाम के संकलन के अभ्यास के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध हो।उन्होंने फरवरी, 1994 के महीने में लगभग 5 से 10 पुरस्कार सूचियों को सील कर दिया था।उपरोक्त कार्रवाई को अनावश्यक होने का कोई परिणाम नहीं बताया गया है और उन पर

लिखित परीक्षा परिणाम के संकलन के काम को तेजी से पूरा करने में बाधाओं के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया है।हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, अध्यक्ष ने सचिव को सीलबंद पुरस्कार सूचियों को खोलने की अनुमति दी।सीलबंद पुरस्कार सूचियों को खोलने का उद्देश्य परिणाम को तेजी से पूरा करना बताया गया है न कि

गोपनीयता का पालन न करने के बराबर।पुरस्कार सूचियों को आयोग के सदस्यों द्वारा कभी भी सील नहीं किया जाता है और सचिव की व्यक्तिगत हिरासत में रखा जाता है, जो पुरस्कार सूचियों के साथ उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान के काम का प्रभारी होता है और इसके लिए जिम्मेदार होता है।सभापति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उनके लगभग तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उनका कोई भी संबंध आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा या अक्टूबर, 1993 में आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ।यह भी पता चलता है कि अध्यक्ष की जानकारी में, राज्य सरकार द्वारा आयोग के चूक करने वाले सदस्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को मामला भेजा गया है और उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है।

(6) आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री भगत राम ने अपने जवाब में कहा है कि याचिकाकर्ताओं का यह आरोप कि परीक्षा को बाहरी कारणों से या गलत उद्देश्यों से रद्द किया गया था, पूरी तरह से गलत और निराधार था।आयोग के सदस्य होने के नाते, यह उनके संज्ञान में आया कि लिपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान चूक और कमीशन के कई कार्य किए गए थे, जैसे कि उचित समय पर कुंजी/क्लिपिंग को सील न करना और उचित गोपनीयता के पालन को दर्शाने वाली अन्य अनियमितताएं।प्रारंभिक जाँच के दौरान अभिलेख पर कुछ अन्य अनियमितताएँ भी देखी गई थीं।परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि परीक्षा के परिणाम को अंतिम रूप देने में गोपनीयता का पालन दूषित था।निष्पक्षता, न्यायाधीश और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, यह सद्भावना से निर्णय लिया गया कि अक्टूबर, 1993 में आयोजित परीक्षा को रद्द आदेश दिया जाए।

(7) आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री वी. एस. चौधरी ने अपने जवाब (सिविल रिट याचिका संख्या 9800/1994 में दायर) में कहा है कि उन्होंने 12 अगस्त, 1993 को आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था, जब परीक्षा आयोजित करने की सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी।परीक्षा अक्टूबर, 1993 में आयोजित की गई थी और नकल करने और अन्य

अनुचित साधनों की कुछ शिकायतों को छोड़कर, लिखित परीक्षा निष्पक्ष रूप से आयोजित की गई थी।उत्तर-लिपियों को काल्पनिक अनुक्रमांक देने और परीक्षकों को उन्हें भेजने के दौरान, कुछ सदस्यों ने कभी-कभी गोपनीयता के रिसाव के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके लिए तत्कालीन अध्यक्ष ने तत्कालीन सचिव को मौखिक रूप से फटकार लगाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।अध्यक्ष और सदस्यों के बीच कार्य के वितरण के अनुसार, अध्यक्ष सभी विभागों और कार्यालय की स्थापना का प्रभारी था।29 दिसंबर, 1993 को आयोग के एक सदस्य ने बैठक में शिकायत की कि काल्पनिक अनुक्रमांक की चाबी बिना मुहर लगाए पड़ी थी और सचिव ने परीक्षकों से प्राप्त पुरस्कार सूचियों को खोल दिया था।सभापति ने सचिव को इन आरोपों को वास्तव में सही पाए जाने के लिए बुलाया और यह निर्णय लिया गया कि दो सदस्य, अर्थात् उत्तरदाता प्रतिवादी और श्री ऊधो राम, इन दस्तावेजों को अपनी उपस्थिति में सील करवाएँ और उस तथ्य की गवाही के रूप में लिफाफों पर हस्ताक्षर करें।भविष्य में प्राप्त होने वाली सभी पुरस्कार सूचियों को सचिव द्वारा उत्तरदाता और श्री ऊधो राम की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए। निर्णय को लागू किया गया था लेकिन प्रतिवादी संख्या 9 पर आरोप है कि उसने उन कारणों के लिए पुरस्कार सूची लाना बंद कर दिया है जो कथित रूप

से उसे सबसे अधिक ज्ञात हैं और शायद प्रतिवादी-अध्यक्ष के निर्देश पर।सचिव ने स्क्रिप्ट और उत्तर पुस्तिकाओं को निर्धारित तरीके से सील नहीं किया और उन तरीकों का सहारा लिया जिनका उपयोग उद्देश्यों के लिए उस समय भी उम्मीदवारों की वास्तविक अनुक्रमांक की पहचान करने के लिए किया जा सकता था, जो काफी स्पष्ट बताए गए हैं।आरोप है कि प्रत्यर्थी-अध्यक्ष ने सचिव की मदद से श्री वी. एस. चौधरी और श्री ऊधो राम की जानकारी और जानकारी के बिना पुरस्कार-सूचियों को खोलने का आदेश देकर परिणाम संकलित कराया, जिन्हें लिफाफों में श्री वी. एस. चौधरी और श्री ऊधो राम के हस्ताक्षर के तहत सील कर दिया गया था।उन्होंने सब कुछ अपनी छाती के पास रखा और सदस्यों के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की।उन्होंने कुछ निर्णय लिए, जिनके लिए वे आयोग द्वारा जनादेश की अनुपस्थिति में में सक्षम नहीं थे और जिनका खुलासा उन्होंने 21 जून, 1994 को एक ध्यान दें के रूप में किया था।यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी अध्यक्ष सदस्यों को लिखित परीक्षा की स्क्रिप्ट और अन्य रिकॉर्ड दिखाने के लिए हमेशा अनिच्छुक और टालमटोल करते थे, यहां तक कि एक राज्य में भी जब उनके पास गोपनीयता के रिसाव के बहाने काल्पनिक रोल नंबर होते थे, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि कोई गोपनीयता तब तक प्रकट नहीं की जा सकती

थी जब तक कि काल्पनिक रोल नंबरों को वास्तविक रोल नंबरों में समझ नहीं लिया जाता था और आयोग के सदस्य अध्यक्ष के समान गोपनीयता की शपथ के तहत थे।अध्यक्ष अंततः 23 जून, 1994 को अपने कमरे में सदस्यों को रिकॉर्ड दिखाने के लिए सहमत हो गए, जब गंभीर अनियमितताएं देखी गईं।उत्तरदाता-अध्यक्ष ने इस डर से कि आगे की जांच से और अधिक अनियमितताओं का पता चल सकता है, परिणाम को रद्द करने का फैसला किया-उनके आदेश के अनुसार, टाइप किया गया और हस्ताक्षर किए गए, जिसे सभी सदस्यों ने भी अपने हस्ताक्षर जोड़कर समर्थन दिया।प्रतिवादी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसका कोई भी रिश्तेदार परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है।सभापति में कोई अविश्वास व्यक्त करने का कोई सवाल ही नहीं था और उपरोक्त प्रतिवादी सहित सभी सदस्य हमेशा उनके प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करते रहे हैं, क्योंकि वे समकक्षों में प्रथम थे।23 जून को आयोजित अपने संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष द्वारा लिए गए रुख।1994 और 29 जून, 1994 को विरोधाभासी बताया गया है।यह आगे तर्क दिया गया है कि आयोजित करने की शायद ही कोई आवश्यकता थी परीक्षा के परिणाम को रद्द करने का निर्णय लेने से पहले जांच, जब तथ्य और परिस्थितियाँ इतनी स्पष्ट थीं और आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्य इतने दृढ़ता

से आश्वस्त थे कि निष्पक्षता, निष्पक्षता, न्यायाधीश और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के पालन के हित में परीक्षा को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।यह निर्णय गंभीर, गंभीर और ईमानदार उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया था।यह निर्णय उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया था, न कि किसी दबाव में या किसी अन्य उद्देश्य से।यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं, पुरस्कार सूचियों और योग्यता सूची में उपस्थित होने वाले पहले 40 से 50 उम्मीदवारों के अन्य संबंधित रिकॉर्ड की बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तैयार की गई, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और लिखित परीक्षा के परिणाम के संकलन के दौरान की गई अनियमितताओं के प्रकारों को प्रकट करेगी।उपरोक्त प्रतिवादी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की इच्छा व्यक्त की है।

(8) आयोग के पूर्व सदस्य श्री तारा चंद खिचेर ने भले ही सेवा की हो, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया है।

(9) आयोग के पूर्व सदस्य श्री आई. डी. कौशिक ने कहा है कि उन्हें आयोग की सदस्यता से अवैध रूप से हटा दिया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने 17 फरवरी, 1994 को आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाला, जब लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी

थी।उस समय, अफवाहें चल रही थीं कि परीक्षा की तैयारी/संकलन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी।हालांकि, अध्यक्ष ने दावा किया कि सब कुछ ओ. के. था और वह गोपनीयता और प्रतिष्ठान शाखाओं के प्रभारी होने के नाते जिम्मेदार थे।आयोग के सदस्यों, ऊधो राम और वी. एस. चौधरी के हस्ताक्षर के तहत लिफाफों में सील की गई पुरस्कार सूचियों को खोलने का आदेश देकर अध्यक्ष ने सचिव की मदद से परिणामों को संकलित किया।आयोग के उपरोक्त सदस्यों की जानकारी और जानकारी के बिना लिफाफे खोले गए।कहा जाता है कि सभापति ने सब कुछ अपने सीने के पास रखा था और अन्य सदस्यों के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की थी।उन्होंने कुछ निर्णय लिए, जो वे आयोग के सदस्यों के आदेश के बिना लेने के लिए सक्षम नहीं थे।हालांकि, जब अध्यक्ष अंततः 23 जून, 1994 को सदस्यों को रिकॉर्ड दिखाने के लिए सहमत हुए, तो कुछ घंटों में कई गंभीर अनियमितताएं देखी गईं, जो इस प्रतिवादी के अनुसार परिणाम को दूषित कर चुकी थीं।अध्यक्ष कथित रूप से इस डर से कि अधिक गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया जा सकता है, आश्वस्त थे कि परीक्षा परिणाम को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिसे सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर जोड़कर समर्थन दिया था।जवाब में की गई बाकी प्रस्तुतियाँ समान हैं।

जैसा कि श्री वी. एस. चौधरी ने कहा था और अध्यक्ष के इस्तीफे को उनके अनुतापहीन रवैये को छिपाने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करार दिया गया है।उन्होंने यह भी कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए और चूक करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं।

(10)*वीड, VI. सीएम।* सं. ओ. '128071 ऑफ 4 1094 (इनवी *।सी/डब्ल्यू. पी. नोट 00 980यू/19 श्री 1.डी. आइवाउसिउल्क ने उक्त आवेदन के साथ संलग्न तीन दस्तावेजों की फोटो प्रतियों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी है।आवेदन में, उन्होंने कहा है कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने उनके द्वारा पहले की गई गड़बड़ी को छिपाने का प्रयास किया है और आयोग के सदस्य ने उनके द्वारा की गई गड़बड़ी में पक्षकार बनने से इनकार कर दिया है।21 जून, 1994 के ध्यान दें की फोटो प्रति, जिस पर अध्यक्ष और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, सी. एम. के साथ के/8-1 के रूप में संलग्न की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में उक्त तिथि पर, सदस्य फिर से मिले और सदस्यों द्वारा सील किए गए पुरस्कार पर मुहर, कुंजी और सभी विषयों की कतरनों की जांच करने की मांग की।सभापति ने सदस्यों की सीमित मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया।इसने सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा कथित रूप

से धोखाधड़ी से तैयार किए गए परिणाम में पक्षकार बनने से इनकार करने के लिए मजबूर कर दिया।इस आशय के ध्यान दें की फोटो प्रति सी. एम. के साथ आर-8/2 के रूप में संलग्न की गई है।अभिलेख का एक हिस्सा सदस्यों को दिखाया गया और दो घंटे के भीतर सदस्य अपरिवर्तनीय गड़बड़ी की ओर इशारा करने में समर्थ हो गए, जो अभिलेख की तैयारी में हुई थी, यानी नियमों के विपरीत काल्पनिक संख्या तय करके कतरनों को कुंजी में परिवर्तित कर दिया गया था।उम्मीदवारों ने प्रयास किया था•पहले खाली जगह पर उत्तर और ऐसी *उत्तर* पुस्तिका उम्मीदवारों को उनके नाम का खुलासा करते हुए मूल्यांकन परिवर्तन के लिए अनधिकृत परीक्षकों को भेजी गई थी।24 जून, 1994 को दर्ज एक ध्यान दें के माध्यम से, अध्यक्ष ने परिणाम को रद्द करने का निर्णय लिया।सभी सदस्यों ने अध्यक्ष के साथ सहमति व्यक्त की क्योंकि वे एक धोखाधड़ी वाले परिणाम के लिए पक्षकार बनने के लिए तैयार नहीं थे, जिसे अध्यक्ष ने बड़े पैमाने पर अपरिवर्तनीय गड़बड़ी के परिणामस्वरूप तैयार किया था।एक प्रार्थना की गई है कि सी. एम. में लगाए गए आरोपों और उपरोक्त प्रतिवादी द्वारा दायर शपथ पत्र को सत्यापित करने के लिए आयोग के रिकॉर्ड की जांच की जाए।

(11)आयोग के सदस्य श्री शेरग सिंह ने अपने 1 उत्तर में आयोग के

महत्व पर प्रकाश डालने के अलावा कहा है कि 29 दिसंबर, 1993 को आयोग के अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ अध्यक्ष के कक्ष में एक बैठक की।यह पता चला कि काल्पनिक रोल नंबरों की चाबी सचिव के पास सीलबंद पड़ी थी और उनके पास परीक्षकों से प्राप्त पुरस्कार सूचियों के बारे में जानकारी थी, जो गोपनीयता का पालन न करने के बारे में आशंकाओं को दूर करती है।तत्कालीन अध्यक्ष श्री एल. डी. कटारिया ने तत्कालीन सचिव श्री टी. फोर्ट को फोन किया। टी. टी. एफ. एल. और काल्पनिक रोल नंबरों *की* सीलबंद चाबी को खोलने के लिए कहा।' उन्होंने "एस बी 6 के कॉन टेनिंग द चाबी" का उत्पादन किया, जिसे सील नहीं किया गया था।द?मेम्बरी ईट एस. क्यूटेड टी. एस.

ध्यान देंशध्यान देंध्यान देंरध्यान देंीध्यान दें ध्यान देंतध्यान देंुध्यान देंलध्यान देंीध्यान दें ध्यान देंकध्यान देंीध्यान दें ध्यान देंओध्यान देंरध्यान दें ध्यान देंसध्यान देंेध्यान दें ध्यान देंकध्यान देंथध्यान देंिध्यान देंतध्यान दें ध्यान देंचध्यान देंूध्यान देंकध्यान दें ध्यान देंपध्यान देंरध्यान दें ध्यान देंगध्यान देंंध्यान देंभध्यान देंीध्यान देंरध्यान देंतध्यान देंाध्यान दें ध्यान देंसध्यान देंेध्यान दें ध्यान देंसध्यान देंंध्यान देंजध्यान देंध्यान देंञध्यान देंाध्यान देंनध्यान दें ध्यान देंलध्यान देंिध्यान देंयध्यान देंाध्यान दें ध्यान देंहध्यान देंैध्यान दें।ध्यान देंअध्यक्ष से पूछने पर, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सचिव को आयोग के दो सदस्यों श्री वी. एस. चौधरी और श्री ऊधो राम के समक्ष चाबी को सील कर देना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी पुरस्कार सूचियों को भविष्य में भी उपरोक्त तरीके से सील किया जाना चाहिए।तत्कालीन सचिव श्री टी. आर. तुली पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की कतरनों को उस समय सील नहीं कराया था जब उत्तर पुस्तिकाओं से कतरनों को अलग कर दिया गया था।सदस्यों ने इस तरह की अफवाहों के बारे में चिंता महसूस की और यह सत्यापित आदेश के लिए कि गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में सब कुछ सुरक्षित और सही है, वे काल्पनिक रोल नंबरों पर योग्य उम्मीदवारों की योग्यता सूची,

काल्पनिक रोल नंबरों पर योग्य उम्मीदवारों के परिणाम कार्ड, पुरस्कार सूची और उत्तर पुस्तिकाओं में पाई जाने वाली विसंगतियों की सूची देखना चाहते थे।आयोग के अध्यक्ष श्री एल. डी. कटारिया ने इस तथ्य के बावजूद कि वे पूरी तरह से जानते थे कि दस्तावेजों के अवलोकन से किसी भी तरह से लिखित परिणाम की गोपनीयता का खुलासा नहीं होगा, सदस्यों द्वारा देखे जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों को उपलब्ध कराना उचित नहीं समझा।कहा जाता है कि सदस्यों ने इस प्रभाव पर ध्यान दें है कि यह सत्यापित किए बिना कि कुंजी, पुरस्कार सूचियों और उत्तर पुस्तिकाओं की कतरनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, पुरस्कार सूचियों और पटकथा में विसंगतियों की सूची की जांच करना बेकार होगा।21 जून, 1994 को आयोग के सदस्यों को पता चला कि तत्कालीन अध्यक्ष ने पुरस्कार सूचियों को खोलकर सचिव से परिणाम संकलित कराया था, जो श्री वी. एस. चौधरी और श्री ऊधो राम-सदस्यों के हस्ताक्षर वाले सीलबंद लिफाफों में थे, उनकी जानकारी और जानकारी के बिना और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता सूची भी तैयार की थी।सभापति ने सब कुछ अपने पास रखा था और सदस्यों के पीछे निर्णय लिया था जिसका खुलासा उन्होंने 2 जून को किया था।1994 एक ध्यान दें के रूप में।यह आयोग के सदस्यों द्वारा उन्हें एक ध्यान दें भेजने के बाद ही

किया गया था, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि अक्टूबर में आयोजित परीक्षा का परिणाम।1993, इसे अमान्य घोषित किया जाए क्योंकि गोपनीयता को दूषित किया गया था।अध्यक्ष पर आरोप है कि वे लिखित परीक्षा की पटकथा और अन्य रिकॉर्ड सदस्यों को दिखाने के लिए अनिच्छुक थे, इस तथ्य के बावजूद कि वे काल्पनिक अनुक्रमांक पर थे।कहा जाता है कि अध्यक्ष ने 23 जून को रिकॉर्ड दिखाने के लिए सहमति व्यक्त की है।1994 प्रारंभिक जाँच के लिए ताकि सदस्य गोपनीयता के पालन से संतुष्ट महसूस कर सकें और कोई गंभीर चूक न हुई हो।जब आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से 1। घंटे के संक्षिप्त समय के लिए प्रारंभिक जांच की और गंभीर खामियां पाई गईं, जिसने परीक्षा के परिणाम को पूरी तरह से दूषित कर दिया।सभापति सहित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि -

गोपनीयता बनाए रखने में लापरवाही किसी भी सदस्य की गलती के कारण नहीं थी क्योंकि गोपनीयता का प्रभार और स्थापना शाखा सहित सभी विभागों की गोपनीय शाखा तत्कालीन अध्यक्ष श्री एल. डी. कटारिया के पास थी।परीक्षकों का चयन किया जाता है, प्रश्न पत्र मुद्रित किए जाते हैं, परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, काल्पनिक अनुक्रमांक वाली उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है और आयोग के सचिव द्वारा अंकन के बाद वापस प्राप्त किया जाता है।परिणाम शुरू में काल्पनिक रोल सदस्यों के आधार पर संकलित किया जाता है और कॉर्नमिशन के सदस्यों की उपरोक्त प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है।आयोग के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष से कहा कि उन्हें यह पता लगाने और सत्यापित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति दी जाए कि गोपनीयता को ठीक से बनाए रखा गया है और किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है।प्रारंभिक जांच के बाद, यह पाया गया कि न तो कुंजी और न ही कतरनों को उचित समय पर सील किया गया था और कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को अनुमोदित परीक्षकों के अलावा परीक्षकों को भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन किया गया था।खामियों को तकनीकी प्रकृति की नहीं माना जाता था, लेकिन वे इतनी गंभीर थीं कि परिणाम की घोषणा एक

प्रहसन बन जाती।इसलिए 24 जून, 1994 को आयोजित अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया जाए और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।पुराने उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।यह तर्क दिया जाता है कि आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष के बीच कोई अंदरूनी कलह नहीं थी।यह निर्णय निष्पक्ष परीक्षण आयोजित करने के सर्वोत्तम हित में लिया गया था।कुछ प्रेस रिपोर्टों के संदर्भ में कोई प्रामाणिकता नहीं होने का आरोप लगाया जाता है और इसे अनुमानों और अनुमानों पर आधारित कहा जाता है, जिसका वास्तविक परिस्थितियों के साथ कोई संबंध नहीं है।किसी भी सदस्य ने परीक्षा में गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में कुंजी की गैर-सीलिंग या शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था।उत्तर देने वाले प्रतिवादी को किसी विशेष उम्मीदवार का चयन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।1 जुलाई, 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित तत्कालीन अध्यक्ष का बयान गलत था, जो आधारहीन था।इस बात से इनकार किया जाता है कि सदस्यों ने कोई अराजकता पैदा की थी या यह धारणा दी थी कि आयोग और कुछ नहीं बल्कि एक डाक विक्रय आयोग था।यह तर्क दिया जाता है कि परीक्षा को रद्द करके।निष्पक्षता के उच्चतम मानक को बनाए रखने में जनता

में विश्वास पैदा किया गया है।इन आरोपों को कि लिखित परीक्षा की योग्यता सूची में कथित रूप से शामिल नहीं होने के कारण परीक्षा को रद्द करने के पीछे कुछ सदस्यों का द्वेष या मकसद था, आधारहीन और गलत करार दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पहले की परीक्षा के परिणाम को वैध रूप से रद्द कर दिया गया है, तो उन उम्मीदवारों को कोई नुकसान या अन्याय नहीं होगा, जो पहले ही परीक्षा में उपस्थित हो चुके हैं।आयोग अपने विवेक से कार्य करता है और एक दृष्टिकोण रखता है

कुल मिलाकर यह महसूस किया गया कि परीक्षा के परिणाम को अंतिम रूप देने में गोपनीयता का पालन दूषित हो गया था, जिसने उन्हें याचिका में आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए मजबूर किया।

(12)आयोग के एक अन्य सदस्य श्री ऊधो राम ने अपने जवाब में श्री शेर सिंह द्वारा अपने लिखित बयान में कही गई बातों को दोहराया और दोहराया है।

(13) आयोग के तत्कालीन सचिव श्री टी. आर. तुली ने अपने जवाब में कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी रिट याचिका में उठाई गई दलीलों से सहमत हैं।उन्होंने कहा है कि मामले में शामिल पूरा विवाद आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बीच आंतरिक कलह के कारण

था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जो अभियुक्त के स्थानांतरण के बहुत बाद हुई थी।वह प्रस्तुत आदेशता है कि जनता में चेहरे बचाने के लिए उसे विवाद में बलि का बआदेशा बनाया गया है।आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईमानदारी और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।हरियाणा के विभिन्न शहरों में परीक्षा आयोजित करने की पिछली प्रथा के विपरीत चंडीगढ़ में ही परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई थी।जाँच बिना किसी प्रभाव या पक्षपात के सबसे गुप्त तरीके से भी की गई थी, जो वास्तव में आयोग के सदस्यों के बीच चिड़चिड़ापन का वास्तविक कारण था।उन्होंने 4 मई, 1994 को राज्य सरकार को स्थानांतरित करने पर अपने उत्तराधिकारी को अपना प्रभार सौंप दिया।कहा जाता है कि यह परीक्षा 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी।1993 42 केंद्रों में, सभी चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं ताकि नकल आदेश और अनुचित साधनों या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की किसी भी संभावना से बचा जा सके, जैसा कि आरोप है।की गई सभी व्यवस्थाएं सावधानीपूर्वक और मूर्खतापूर्ण साबित हुईं और कुछ को छोड़कर अनुचित साधनों या नकल का कोई मामला नहीं पाया गया, जो कमोबेश नगण्य थे।आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों की सख्त और करीबी देखरेख में और

सभी संबंधितों की पूरी संतुष्टि के लिए परीक्षा आत्यन्तिक रूप से उचित और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई थी।अभ्यास/प्रक्रिया के अनुसार सभी गोपनीय कार्यों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक ध्यान रखा गया।परीक्षा समाप्त होने के बाद, उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल अनुक्रमांक को काल्पनिक अनुक्रमांक में परिवर्तित करने और फिर उन्हें सख्त गुप्त तरीके से मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को अग्रेषित करने की प्रक्रिया में लगभग दो महीने लग गए।उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजे जाने के तुरंत बाद, कुंजी को आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक डिब्बे में बंद कर दिया गया था और फिर क्लिपिंग के साथ उपरोक्त डिब्बे को चार ताले वाली एक अलमारी में रखा गया था, जिसे संयुक्त रूप से अधिकारियों, सचिव द्वारा संचालित किया जाएगा।परीक्षा नियंत्रक, अधीक्षक और व्यवहार सहायक।बाद में सभी सदस्यों ने

आयोग ने व्यवस्थाओं की भी जांच की और 29 दिसंबर, 1993 को उनके हस्ताक्षर के तहत एक लिफाफे में चाबी को सील कर दिया गया।परीक्षा को संभालने का तरीका मूर्खतापूर्ण और भरोसेमंद था।फरवरी, 1994 के दौरान परीक्षकों से मूल्यांकन के बाद अनिवार्य उत्तर पुस्तिकाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई थी और इस कार्य का लगभग 70 प्रतिशत 28 अप्रैल, 1994 से पहले पूरा हो गया था, जब तत्कालीन सचिव का स्थानांतरण किया गया था और उन्होंने 4 मई, 1994 को अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंप दिया था।उत्तर पुस्तिकाओं की यह जांच अध्यक्ष की कड़ी निगरानी में प्रतिनिधि द्वारा की गई थी और जब तक उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को प्रभार नहीं सौंपा, तब तक किसी को भी कोई अनियमितता या हेरफेर का पता नहीं चला था।यह तर्क दिया जाता है कि अध्यक्ष और प्रतिनिधि (श्री तुली) ने आयोग के सदस्यों को परीक्षा में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम और उसकी योग्यता सूची की अंतिम तैयारी में शामिल नहीं किया, जिसके कारण वे किसी भी तरह से लिखित परीक्षा में अपने रिश्तेदारों का समर्थन नहीं मिलने पर नाराज हो गए।इसलिए सभी सदस्यों ने सभापति के खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे।अपने स्थानांतरण पर, उन्होंने

उत्तर पुस्तिकाओं के साथ चाबी और क्लिपिंग को अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया, जो गोपनीय कमरे में पड़े थे, जैसा कि पहले कहा गया था।उन्होंने आगे तर्क दिया है कि "चूंकि आयोग के कुछ सदस्यों द्वारा दैनिक दिनचर्या के काम में पैर खींचने और पिन-चुभाने द्वारा से प्रतिवादी से मदद प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयास, धमकी, तनाव और तनाव में अभियुक्त को ब्लैकमेल करना विफल हो गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि निष्मुकदमा रूप से आयोजित परीक्षा को रद्द करने का सबसे अच्छा विकल्प, उसकी अभाव में उसे बलि का बकरा बनाकर और कीचड़ उछालने के लिए, क्योंकि यह उनके अनुकूल नहीं था।”

(14) आयोग में श्री तुली के स्थान पर आने वाले श्री अमित झा ने अपने जवाब में कहा कि आयोग द्वारा यह महसूस करने के बाद कि परिणाम को अंतिम रूप देने में गोपनीयता के पालन का उल्लंघन किया गया था, परीक्षा को रद्द कर दिया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि चूंकि पूरे रिकॉर्ड को अदालत द्वारा जब्त कर *लिया* गया है और सील कर दिया गया है-1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 8584 में पारित आदेशों के अनुसार. वह उचित रूप से जवाब देने की स्थिति में नहीं थे।याचिका में लगाए गए आरोप उनके पूर्ववर्ती के हित से संबंधित थे, जिस पर वह उचित रूप से अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकते।

(15)1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 11782 में, प्रतिवादी को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और किसी भी प्राधिकरण या सरकार के दबाव में रद्द की गई परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश देने के लिए एक प्रार्थना की गई है।केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामला सौंपने के लिए भी प्रार्थना की गई है।

बड़े पैमाने पर जनता के हित में आगे की जांच और चूक करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना।उस याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि अध्यक्ष को छोड़कर पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था, क्योंकि आयोग द्वारा बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किए गए कारणों के कारण यह अमान्य था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री एल. डी. कटारिया सहित आयोग के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि गड़बड़ी हुई थी और कुछ उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी और परीक्षा के संचालन में कोई गोपनीयता नहीं रखी गई थी।आरोप है कि अपना इस्तीफा सौंपने के बाद श्री एल. डी. कटारिया।उन्होंने अपनी त्वचा को बचाने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें आयोग के स्वतंत्र कामकाज पर आक्षेप लगाए गए थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अध्यक्ष सभी कदाचारों के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने कभी भी एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया।यह भी आरोप लगाया जाता है कि सभापति।श्री कटारिया राजनेताओं के हाथों में एक औजार थे।उनके कार्यकाल के दौरान की गई एक और भर्ती कथित रूप से आंशिक दिमाग के साथ की गई थी।उन्होंने एच. सी. एस. में 30 व्यक्तियों की भर्ती में अपने पक्षपात का प्रदर्शन किया। (कार्यकारी शाखा) विशेष भर्ती के माध्यम से उपरोक्त

सभी 30 पदों को हरियाणा राज्य के शीर्ष राजनेताओं के रिश्तेदारों द्वारा घेर लिया गया था।यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त विवाद की प्रक्रिया में, आयोग के सदस्यों को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा बुलाया गया था और आयोग के पुनर्गठन के लिए अपने इस्तीफे जमा करने के लिए कहा गया था।चार सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और सदस्यों में से एक, श्री कौशिक ने सरकार को लिखा कि उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और उनके इस्तीफे को सशर्त माना जा सकता है।उन्होंने यह भी कहा है कि याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 उच्च शिक्षित बेरोजगार युवाओं को धोखा देने के लिए उत्तरदायी थे और वे अपने पसंदीदा लोगों की मदद आदेश के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार होने के अलावा अपने संवैधानिक कर्तव्यों/दायित्वों का पालन आदेश में विफल रहे हैं।

(16) प्रतिकृति में (1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 8584 में दायर)।याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट, याचिका में जो तर्क दिया है उसे दोहराया है और आगे तर्क दिया है कि 'परीक्षा को रद्द कर दिया गया था।एक मनमाना तरीका और इसके लिए एक आधार के बिना।

(17)हमने दलीलों को विस्तार से सुना है और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की सहमति से रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह

(संख्या सहित) पर निर्णय लेने का फैसला किया है। 8584, 9800 15337 17815 8962 8961,11524.9425। 9900; 8968। 12337।16768, 11525 12792. 11782'इस स्थिति में योग्यता के आधार पर 1994 का?-

(18) केंद्र और राज्यों में लोक सेवा आयोगों का गठन लोक सेवाओं के लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष चयन के उद्देश्यों के लिए किया गया है जो किसी भी राजनीति की रीढ़ हैं, संविधान निर्माताओं ने आयोग को आधुनिक राज्य की आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है।आयोग का उद्देश्य मुख्य रूप से नियुक्तियों को दिन-प्रतिदिन की राजनीति, पार्टी की प्राथमिकताओं और व्यक्तियों या समूहों के प्रभाव से दूर रखना है, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मामलों के शीर्ष पर हैं।आयोग द्वारा से नियुक्तियां राज्य के कार्यकारी अधिकारियों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।आयोग को कमोबेश स्वायत्त बनाने का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य मूल रूप से योग्यता की मान्यता में सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है।यह स्वीकार किया जाता है कि सरकार, चाहे वह राजशाही हो या लोकतंत्र, अराजकता या तानाशाही, न केवल शासक, मंत्रिमंडल या तानाशाह द्वारा, बल्कि वास्तव में और संक्षेप में देश की सिविल सेवाओं द्वारा संचालित की जाती है।सिविल सेवाओं का महत्व स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे लोकतंत्रों में भी यह स्वीकार किया गया है कि सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अकेले योग्यता प्रणाली ही सफल रही है।ग्रेट ब्रिटेन में, संरक्षण की प्रणाली की कोशिश की गई लेकिन असफल रही।उस देश

में मंत्रियों के रिश्तेदारों, दोस्तों और समर्थकों को सरकार में नौकरी मिलती थी और यहां तक कि अमेरिका में भी लोग अपने दोस्तों और समर्थकों के बीच लूट को बांटते थे।और नए जैक्सन को लूट प्रणाली का जनक माना जाता था, जो 1828 से लगभग 50 वर्षों तक जारी रहा जब एंड्रयू जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके बाद लूट प्रणाली को जारी रखना बहुत मुश्किल पाया गया और तीन सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसे रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता थी।अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में परीक्षा की प्रणाली हमारे देश की तुलना में अलग है।विभिन्न संविधानों पर एक आकस्मिक नज़र डालने से पता चलता है कि सिविल सेवाएँ परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर स्थापित की जाती हैं।भारत में, योग्यता के आधार पर लोक सेवाओं के लिए चयन की प्रणाली का पालन करने की मांग की गई थी, जिसके लिए संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 284 पेश किया गया था, जिस पर 22 अगस्त, 1949 को बहस और अनुमोदन किया गया था।प्रारूप-संविधान का अनुच्छेद 285 आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पद की शर्तों से संबंधित था और बहस के दौरान यह दोहराया गया कि सेवाओं में भर्ती के उद्देश्यों के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और बाहरी विचार के प्रभाव के बिना, प्राधिकरण

की आवश्यकता थी।आयोग का उद्देश्य एक स्वतंत्र निकाय होना था और इसके सदस्यों को किसी भी पक्ष के लिए कार्यपालिका की ओर देखने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।आयोग के सदस्यों का उद्देश्य कार्यपालिका का पक्ष हासिल करना या लगातार नियुक्तियां सुनिश्चित करना नहीं था।इनकी जरूरत थी।

महान अनुभव और योग्यता होना।संविधान सभा में बहस के दौरान यह कहा गया थाः

> "हमारे देश की स्वतंत्रता के साथ सेवाओं की जिम्मेदारियां और अधिक कठिन हो गई हैं।वे प्रशासन की मशीनरी की दक्षता को बना या खराब कर सकते हैं-इसे स्टील फ्रेम कहें या आप क्या करेंगे-एक ऐसी मशीनरी, जो देश की शांति और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।एक कुशल सिविल सेवा के बिना एक देश देश में शीर्ष पर रहने वाले लोगों की गंभीरता के बावजूद प्रगति नहीं कर सकता है।जहाँ भी लोकतांत्रिक संस्थान मौजूद हैं, अनुभव से पता चलता है कि लोक सेवाओं को राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभाव से यथासंभव बचाना और उसे स्थिरता और सुरक्षा की स्थिति देना आवश्यक है, जो एक निष्पक्ष और कुशल साधन के रूप में इसके सफल काम करने के लिए

महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा सरकार चाहे जो भी राजनीतिक जटिलता हो, अपनी नीतियों को प्रभावी बना सकती है।यह आवश्यक है कि जो भी सरकार सत्ता में आए, स्थायी सेवा को सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन करना चाहिए।"

(19) लोक सेवा आयोग का उद्देश्य नियुक्ति के मामले में स्वतंत्र होना और भाई-भतीजावाद या पक्षपात या राजनीतिक संरक्षण के प्रयोग के प्रभाव में नहीं होना और प्रशासन और सिविल सेवाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्यकारी आदेश से पूरी तरह से स्वतंत्र होना था।आयोग का उद्देश्य न्यायपालिका, महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरणों के साथ बराबरी करना था।डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 22 अगस्त, 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में स्पष्ट रूप से घोषणा की, "लोक सेवा आयोग का कार्य ऐसे लोगों का चयन करना है, जो लोक सेवा के लिए योग्य हों।फिटनेस के सवाल पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक निर्णय व्यक्ति की ओर से एक निश्चित मात्रा में अनुभव का अनुमान लगाता है, जिसे न्याय करने के लिए कहा जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारा पूरा उद्देश्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कार्यपालिका का स्वतंत्र सदस्य बनाना है।उन्हें कार्यपालिका से स्वतंत्र

बनाने का एक तरीका उन्हें किसी भी पद से वंचित करना है जिसके साथ कार्यपालिका उन्हें अपने कर्तव्य से हटने के लिए लुभा सकती है।" आयोग के सदस्यों की तत्काल नियुक्ति और पद के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संविधान में यह प्रावधान करने का निर्णय लिया गया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित प्रावधानों के अनुसार संघ के न्यायाधीशों को हटाने के लिए

और आयोग के सदस्यों के मामले में उच्च न्यायालय लागू होगा।भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में संघीय न्यायालय द्वारा या संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा जांच कराना आवश्यक था, और यह रिपोर्ट दिए जाने पर कि दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, गवर्नर जनरल के लिए संघीय न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किसी एक को हटाने के लिए खुला था।इसलिए, संविधान सभा ने दुर्व्यवहार के मामले में आयोग के सदस्यों को हटाने के संबंध में वही प्रावधान अपनाए, जो संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत प्रदान किए गए हैं।

(20) इसलिए संविधान निर्माताओं ने लोक सेवाओं में भर्ती के उद्देश्यों के लिए आयोग की परिकल्पना की थी, जो सभी बाहरी विचारों से मुक्त था और 11 अगस्त, 1947 के बाद हमारे देश में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ का चयन करने में सक्षम था, यह कभी नहीं सोचा गया था कि ऐसे आयोग के सदस्य इतने नीचे गिरेंगे कि वे एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में लिप्त होंगे और वह भी जनता में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीति के तहत प्रशासनिक व्यवस्था

को सुचारू रूप से चलाने और नियंत्रित करने के सर्वोपरि उद्देश्य के साथ संवैधानिक व्यवस्था के चमकते चेहरे को बदलने के निहित इरादे से।ऐसे आयोग या उसके सदस्यों को सौहार्दपूर्ण संवैधानिक वातावरण को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए।यदि इस तरह के मार्ग को रोका या नियंत्रित नहीं किया जाता है या शुरुआत में ही समाप्त नहीं किया जाता है, तो प्रारंभिक चरण में हमारी संवैधानिक प्रणाली की पूरी इमारत को नष्ट कर सकता है।आयोग के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत घमंड या अहंकार को उस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य लोक सेवा आयोगों के संविधान द्वारा प्राप्त किया जाना था।आंतरिक झगड़ों, प्रत्यक्ष विवादों, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक खामियों, व्यक्तिगत लाभ, शत्रुता या इस तरह के विचारों को न केवल आयोग या परीक्षा देने के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के हित में, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थानों के पतन को बचाने के लिए भी दूर **करने** की आवश्यकता है, जिन पर आरोप है कि वे **भीतर** से और बाहर से हमले का सामना कर रहे हैं।स्वतंत्र आयोग को किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बेदाग चयन या निष्पक्षता के मामले में अपने आचरण के बारे में संदेह की उंगली उठाने की अनुमति या अनुमति दिए बिना

व्यवहार और प्रक्रिया के बहिष्कृत मानदंडों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है।प्रतिवादी के कार्यों का उद्देश्य न केवल निष्पक्ष होना है, बल्कि सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से परीक्षकों के लिए निष्पक्ष दिखना भी वांछित है, इन अपेक्षाओं **के आधार** पर **राष्ट्र** की, इन याचिकाओं **में आयोग और उसके सदस्यों के आचरण का परीक्षण किया जाना है।**

(21) अतः इस बात *पर* कोई विवाद नहीं है कि विज्ञापन नवंबर, 1992 के महीने में जारी किया गया था और परीक्षा 2 से 15 अक्टूबर, 1993 तक आयोजित की गई थी।न तो किसी याचिकाकर्ता ने, न ही पूर्ववर्ती आयोग के किसी पदाधिकारी या सदस्य ने 15 अक्टूबर, 1993 तक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में किसी भी अनियमितता के बारे में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दूरस्थ रूप से आरोप लगाया है।ऊपर उल्लिखित पक्षों के हलफनामों से यह स्थापित होता है कि निष्पक्ष परीक्षा 2 से 15 अक्टूबर, 1993 तक 42 केंद्रों में आयोजित की गई थी, जो सभी चंडीगढ़ में स्थापित किए गए थे।परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई व्यवस्थाएं, मोटे तौर पर, संतोषजनक साबित हुईं क्योंकि कुछ को छोड़कर नकल करने के अनुचित साधनों का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, जिन्हें तत्कालीन सचिव ने कमोबेश नगण्य प्रकृति का बताया

था।किसी ने यह आरोप नहीं लगाया है कि तत्कालीन अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों और सचिव की देखरेख में परीक्षा निष्पक्ष या उचित तरीके से आयोजित नहीं की गई थी।

(22) हालाँकि, 7 नौनबींग ने सुझाव दिया है कि कुछ छात्रों ने गोपनीयता में छेड़छाड़ करने के इरादे से अपनी पहचान का खुलासा करने की कोशिश की थी या कि कुछ उत्तर प्रश्न पत्रों के उत्तर बंद होने के बाद लिखे गए थे।आयोग के सदस्यों ने 23 जून, 1994 को ही अनियमितताएं पाई थीं, जब कथित तौर पर लगभग 1 घंटे के लिए प्रारंभिक जांच की गई थी।यह भी आरोप *लगाया* गया है कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को अनुमोदित और मूल परीक्षकों के अलावा परीक्षकों को मूल्यांकन के लिए भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीयता बनाए रखने की पूरी प्रक्रिया का गंभीर रूप से उल्लंघन किया गया था।

(23)एक क्रम में आपकी स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग के 3 अभिलेख पर विचार करने की आवश्यकता है।इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि आयोग के रिकॉर्ड को जब्त करने *और* सील करने का निर्देश दिया गया था-4 जुलाई, 1994 के अदालती आदेशों के अनुसार।अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए, परीक्षा के निम्नलिखित रिकॉर्ड को जब्त कर लिया गया और सील कर दिया गयाः

1. - विभिन्न क्षेत्रों के आवेदकों की सूची

श्रेणियाँ (पैकेट संख्या 1)

2. प्रश्न पत्र (प्रेस)

प्रतियाँ) (पैकेट संख्या 2)

3. जाँच की मुहरबंद कुंजी

यह (पैकेट संख्या 3)

4. पुरस्कारों की सूची (पैकेट संख्या 4 और5)

5. काल्पनिक अनुक्रमांक की योग्यता सूची। (पैकेट संख्या 6)

6. उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के परिणाम कार्ड। (पैकेट संख्या 7 और8)

7. असफल उम्मीदवारों के परिणाम कार्ड। (पैकेट संख्या 9 से 16)

8. काल्पनिक रोल नंबरों की कतरनें (सीलबंद)। (पैकेट संख्या 17 से 33)

9 परीक्षकों की सूची। (पैकेट संख्या 34 और35)

. 10.	विसंगतियों की सूची	(पैकेट संख्या 36)
1 1.	परीक्षा के बारे में विभाग की फाइल, जिसमें नोटिंग भाग में 109 पृष्ठ और पत्राचार भाग में 457 पृष्ठ हैं।	
पर	6जुलाई, 1994।इन सब के अलावा	(पैकेट संख्या 37) उत्तर पुस्तिकाएँ भी थीं

सील कर दिया।37 पैकेटों में निहित उपरोक्त रिकॉर्ड को एक ट्रंक में और उत्तर पुस्तिकाओं और अन्य रिकॉर्ड को 9 बड़े ट्रंकों में रखा गया था।ट्रंक की कुंजी जिसमें काल्पनिक रोल नंबरों की योग्यता सूची, असफल होने वाले उम्मीदवारों के परिणाम कार्ड, विसंगतियों की सूची और परीक्षा के बारे में विभागीय फाइल हरियाणा के जिला और सत्र न्यायाधीश (वी. जी.) के पास पड़ी थी, जिसे खोला गया था और उपरोक्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया था।

(24) आयोग के अभिलेख को प्रस्तुत करने से पहले यह इंगित करना आवश्यक है कि आयोग के सदस्यों को गोपनीयता के पालन और रखरखाव के लिए कुछ विषम नाम दिए गए थे।श्री वी. एस. चौधरी को आई. एम., श्री तारा चंद खिचेर को ई. एम., श्री आई. डी. कौशिक को ए. एम., श्री उदा राम को आर. एम., श्री शेर सिंह को एफ. एम. और श्री भगत राम को एल. एम. के रूप में जाना जाता था। आयोग ने अध्यक्ष और सदस्यों के बीच काम भी वितरित किया था जैसा कि 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8584 के साथ संलग्न संलग्नक पी/4 में विस्तृत है।

(25) पक्षों की दलीलों से ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के बारे में विवाद पहली बार दिसंबर 1993 के महीने में उठाया गया था, जब यह आरोप लगाया गया था कि चाबी को सुरक्षित हिरासत में नहीं रखा गया था।कहा जाता है कि यह मामला 29 दिसंबर, 1993 को आयोग की बैठक में उठाया गया था, जब तत्कालीन सचिव श्री तुली को इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था कि चाबी को सील कर दिया गया था या नहीं।श्री तुली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आयोग को सूचित किया था कि उन्होंने चाबी को सुरक्षित हिरासत में रखा था जो उनकी अलमारी में उनके निजी बंद डिब्बे में पड़ी थी, लेकिन

उन्होंने ऐसा नहीं किया।

एन. डी. टी. को संबंधित सदस्यों द्वारा ठीक से सील या हस्ताक्षरित किया गया था।सभापति के अनुसार सचिव को फटकार लगाई गई और सलाह दी गई कि वह चाबी को सीलबंद लिफाफे में रखें जिसे आयोग के सदस्यों की उपस्थिति में सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।उन्होंने आगे दोहराया कि सदस्य संतुष्ट थे और जहां तक चाबी की नोम-सीलिंग का संबंध है, यह मामला समाप्त हो गया था।हालाँकि, आयोग का रिकॉर्ड सचिव को कुंजी या फटकार को सील न करने के संबंध में ऐसी बैठक और चर्चा के आयोजन का खुलासा नहीं करता है।22 दिसंबर, 1993 के ध्यान दें के बाद अगला ध्यान दें 6 जनवरी, 1994 का है।14 जनवरी, 1994 का ध्यान दें राष्ट्रीय नेत्रहीन परिषद के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, जिस पर 25 जनवरी, 1994 को विचार किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि 1 फरवरी, 1994 को इसका निपटारा कर दिया गया था।23 फरवरी, 1994 का ध्यान दें के प्रतिनिधित्व से संबंधित है।एक उम्मीदवार श्री अक्षय कुमार बट्टास और दिनांक 5 मई, 1994 का ध्यान दें भारत के राष्ट्रपति को संबोधित श्री राम पाल सिंह के अभ्यावेदन/सुझाव के बारे में है जिसमें कहा गया है कि आयोग ने पदों का विज्ञापन किया है और परीक्षा केवल चंडीगढ़ में आयोजित की है।उस समय तक के अन्य नोट।पृष्ठ 41 औपचारिक प्रकृति के हैं और कहा

जाता है कि 7 जून, 1994 को कुछ अधीक्षकों द्वारा कुछ उम्मीदवारों की शिकायत के संबंध में एक ध्यान दें तैयार की गई थी, जिसमें उन्हें उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित करने का सुझाव दिया गया था।परीक्षा नियंत्रक ने जून, 1994 के अपने नोट में ध्यान दें किया कि जिन प्रश्नों के बारे में शिकायत की गई थी, उन्हें अंक देते समय परीक्षकों द्वारा अंकों पर विचार किया गया था और जिन उम्मीदवारों ने उस प्रश्न का प्रयास किया था, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था।उन्होंने अनुरोध किया कि उम्मीदवारों को उचित जवाब दिया जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा विवाद श्री ऊहा राम, सदस्य द्वारा 21 जून, 1994 को शुरू किया गया था, जब उन्होंने लिखा था, "इस पर कॉमरेसीडीएन की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।"ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद युद्ध की रेखाएँ खींची गईं और 22 जून, 1994 को सदस्य, एल. एम. ने नोट कियाः

> “यह समझ में नहीं आता है कि सी. ई. इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि उम्मीदवार द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाए गए बिंदु पर परीक्षक द्वारा इतिहास के पेपर में प्रश्न संख्या 1, भाग (ए) और (बी) के अंक प्रदान करते समय विचार किया गया है।1000 ईस्वी तक और यह कि इस प्रश्न का प्रयास

करने वाले उम्मीदवारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।यह हो सकता है (केवल तभी संभव है जब सी. ई. ने उम्मीदवार के पर्चे को प्रतिनिधित्व करते हुए देखा हो और कुंजी की मदद से उम्मीदवारों के काल्पनिक रोल नंबरों को भी समझा हो।यदि यह सच है तो इसका तात्पर्य है कि कुंजी सी. ई. के लिए सुलभ थी और परिणाम की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।"

(26) सभापति सहमत हुए लेकिन मुख्य न्यायाधीश के उस स्पष्टीकरण की ओर इशारा किया!.सबसे पहले बुलाया जाए और उसके बाद मामले को न्यायालय में विचार के लिए रखा जाए।आयोग की बैठक।परीक्षा नियंत्रक ने 21 जून, 1994 के अपने ध्यान दें में बतायाः

"मुझे आयोग के माननीय सदस्य ने आर. एम. के कमरे में बुलाया है और वे निम्नलिखित दस्तावेज चाहते थेः

(1.योग्य उम्मीदवारों की योग्यता सूची;

ए.

(2.योग्य उम्मीदवारों का परिणाम कार्ड;

(3.पुरस्कारों की सूची;

बी.

(4.लिपियों में बताई गई विसंगतियों की सूची (

इसके बाद आयोग के अध्यक्ष ने कहा,

"लिखित परिणाम की गोपनीयता के हित में, उपरोक्त 'ए' पर रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया जा सकता है और विभिन्न उम्मीदवारों के अंकों की जांच के लिए सदस्यों को प्रदान नहीं किया

जाएगा, हालांकि, सदस्य ऊपर 'बी' पर रिकॉर्ड देखने के लिए स्वतंत्र हैं।"

और इसके बाद सदस्यों ने निम्नलिखित ध्यान दें कीः–

"लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को देखकर सदस्यों द्वारा समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है।यह समझ में नहीं आता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा अभिलेख की जांच से पहले योग्य उम्मीदवारों की योग्यता सूची कैसे तैयार की गई और इसकी एक प्रति अकेले अध्यक्ष को प्रदान की गई, जबकि किसी भी सदस्य के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।यह भी समझ में नहीं आता है कि यह परिणाम की गोपनीयता को कैसे प्रभावित करेगा जब योग्य उम्मीदवारों की योग्यता और योग्य उम्मीदवारों के परिणाम कार्ड पर अभी भी काल्पनिक रोल नंबर हैं।अन्यथा, यह भी महसूस किया जाता है कि गोपनीयता की शपथ लेने वाले आयोग के सदस्यों से कुछ भी गुप्त नहीं हो सकता है।

(27) यदि सभापति सोचता है कि सदस्य आयोग के अभिन्न अंग

हैं और वे इसे बनाए रखने की शपथ से बाध्य हैं।

> गोपनीयता तब एच. सी. एस. (एक्स.) के परिणाम की जांच के लिए आयोग के सदस्यों द्वारा आवश्यक सभी अभिलेख। बीआर.) उन्हें परीक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।यदि यह स्थिति सभापति को स्वीकार्य नहीं है तो सदस्यों का परिणाम की घोषणा से कोई लेना-देना नहीं होगा और वे परिणाम पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

आयोग के सदस्यों में से एक भगत राम ने कहाः– "मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हम माननीय सभापति के साथ चर्चा कर सकते हैं।"

इसके बाद, अन्य सदस्यों ने कहाः

> "सदस्यों ने श्री भगत राम के सुझाव पर विचार किया है और यह महसूस किया जाता है कि अध्यक्ष के साथ इस मामले पर चर्चा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"

(28) इसोफी परीक्षा नियंत्रक को उन सदस्यों द्वारा बुलाया गया है जो सभी विषयों की कुंजी और क्लिपिंग, सदस्यों द्वारा सील किए गए पुरस्कार लिफाफे को देखना चाहते थे।इसके बाद अध्यक्ष ने कहा कि

"परिणाम के संकलन के लिए काम पूरा करने और पुरस्कार सूचियों की तुलना स्क्रिप्ट में अंकों के साथ करने के लिए मैंने सचिव से पुरस्कार-सूची खोलने के लिए कहा था-सदस्य पुरस्कार सूचियों को देखने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि *उनकी* शुद्धता का पता लगाया जा सके।सीलबंद चाबी सचिव की अभिरक्षा में बताई गई थी जिसे जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और अध्यक्ष की देखरेख में परिणाम की घोषणा की तारीख को ही खोला जाएगा।सदस्य उस समय सीलबंद चाबी देखने के लिए स्वतंत्र थे।" उन्होंने यह भी कहा कि, "सभी विषयों की क्लिपिंग में काल्पनिक के साथ-साथ उम्मीदवारों के वास्तविक रोल नंबर भी होते हैं।इन्हें सील करके रखा जाता है और बर्तन खोले जाते हैं और हो सकता है कि वे गोपनीयता के हित में उपलब्ध न हों।इन्हें सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना होगा।" उसी दिन यानी 21 जून, 1994 को आयोग के सदस्यों ने निम्नलिखित ध्यान दें की थीः–

> "एच. एस. सी. (एक्स.) से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड लाने के लिए सदस्यों द्वारा सी. ई. को सुबह बुलाया गया था। बीआर.) जाँच जिसने सदस्यों को यह अभिलेख दिखाने के लिए अपनी अनुमति मांगने के लिए अध्यक्ष को एक ध्यान दें प्रस्तुत किया।अध्यक्ष ने गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के बहाने

योग्य उम्मीदवारों की योग्यता सूची और परिणाम कार्ड से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया, भले ही इन दस्तावेजों का उल्लंघन किया गया हो।

काल्पनिक अनुक्रमांक के अनुसार तैयार किया गया था।सदस्यों ने इस विषय पर एक अलग ध्यान दें में अपने विचार व्यक्त किए हैं।"

(29) अध्यक्ष कृपया याद करेंगे कि काल्पनिक अनुक्रमांक की कुंजी और परीक्षकों से प्राप्त बड़ी संख्या में पुरस्कार सूचियों को पूर्व सचिव के पास बिना मुहर के पाया गया था और आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सदस्यों और सह-सदस्यों को अपनी उपस्थिति में कुंजी और पुरस्कार सूचियों को सील करना चाहिए और लिफाफे पर हस्ताक्षर भी करना चाहिए।इस प्रकार काल्पनिक अनुक्रमांक आवंटित किए जाने के लगभग 4 महीने बाद तत्कालीन सचिव के पास कुंजी खुली रही।

(30) सदस्य चाहते थे कि सी. ई. पुरस्कार सूचियों के सीलबंद लिफाफे, चाबी और काल्पनिक और साथ ही मूल अनुआदेशांक वाली उत्तर पुस्तिकाओं की कतरनें लाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मुहरें बरकरार हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।विद्वान अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि परिणाम के संकलन के संबंध में काम पूरा करने के लिए पुरस्कार सूचियां खोली गई हैं।सदस्य इस पर और लिफाफे को खोलने पर गंभीर आपत्ति जताते हैं, जिसे उनकी जानकारी और जानकारी के बिना सील कर दिया गया था और जिस पर सदस्य और सह-सदस्य

के हस्ताक्षर थे।चाबी वाला सीलबंद लिफाफा सी. ई. द्वारा सदस्यों के सामने इस बहाने पेश नहीं किया गया है कि वह सचिव की हिरासत में था।क्लिपिंग के बारे में भी ऐसा ही था।सदस्यों द्वारा मांगे गए अभिलेख को प्रस्तुत न करने से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा कोई गोपनीयता नहीं रखी गई थी या परिणाम के संकलन की प्रक्रिया में गोपनीयता का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया था।यह भी आशंका है कि परिणाम अध्यक्ष और सचिव और संबंधित कर्मचारियों को पता है।अन्यथा आयोग के सभी सदस्यों को अंधेरे में रखने का कोई औचित्य नहीं है।सदस्य इन परिस्थितियों में परिणाम की तैयारी और घोषणा से खुद को दूर रखने के लिए विवश हैं और यह प्रस्तावित किया गया है कि परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए एचसीएस का परिणाम (उदा.बीआर.) अक्टूबर, 1993 में आयोजित परीक्षा को अमान्य घोषित किया जाए।"

(31)ऐसा दिखाया गया है कि सभापति ने 23 जून, 1994 को इस आशय का एक ध्यान दें लिखा था, "चर्चा की गई। सदस्य अपनी पसंद का कोई भी रिकॉर्ड देखने के लिए स्वतंत्र हैं।मैं कार्यालय रिकॉर्ड का एकमात्र संरक्षक नहीं हूं और सदस्य और अध्यक्ष समग्र रूप से काम कर रहे हैं।मैं एक अध्यक्ष के रूप में भी आयोग की ओर से काम कर रहा

हूं।"' एचबीवेवर, 24 जून, 1994 को, अध्यक्ष ने निम्नलिखित रूप में दर्ज कियाः–

"एच. सी. एस (उदा. बी. आर.) और संबद्ध सेवाओं की परीक्षा आयोजित की गई थी

अक्टूबर, 1998।जाँच के बाद, प्रक्रिया के दौरान

लिपियों के मूल्यांकन के संबंध में, उचित समय पर कुंजी/क्लिपिंग को सील न करने और उचित गोपनीयता के पालन से संबंधित अन्य अनियमितताओं जैसे कई कार्य और आयोग आयोग के संज्ञान में आए हैं।इसके अलावा परीक्षकों की गोपनीयता का पालन न करने, मूल परीक्षकों के अलावा अन्य परीक्षकों द्वारा लिपियों का मूल्यांकन करने जैसे कई कृत्यों और आयोगों को भी देखा गया है।समग्रता में देखने वाली परिस्थितियों में यह महसूस किया जाता है कि परीक्षा के परिणाम को अंतिम रूप देने में गोपनीयता का पालन दूषित हो गया है।इसलिए निष्पक्षता, निष्पक्षता, न्यायाधीश और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के पालन के हित में यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर, 1993 में आयोजित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए।परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के लिए

आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।पुराने उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।नए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।"

सभी सदस्यों ने ध्यान दें का समर्थन किया और अपने हस्ताक्षर किए।इसके बाद आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के पूरे परिणाम को रद्द करते हुए प्रेस ध्यान दें जारी किया गया, जिसके लिए लगभग 17,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 3,647 वास्तव में उपस्थित हुए थे।जिस परीक्षा में भारी राशि खर्च होने की उम्मीद है और जिसके लिए हजारों छात्रों ने तैयारी के लिए दिन-रात मेहनत की थी, वह 24 जून, 1994 को आयोग के सदस्यों द्वारा उठाए गए व्यक्तिगत झगड़ों और प्रतिष्ठित मुद्दों के कारण कलम के एक झटके से बह गई थी।यह सब केवल इसलिए हुआ था क्योंकि परीक्षा नियंत्रक ने जुझारू सदस्यों, योग्य उम्मीदवारों की अंक सूची और परिणाम कार्ड दिखाने से इनकार कर दिया था।अध्यक्ष जो सबसे पहले अडिग थे, अंततः पहले पिघल गए और विद्रोह में अपने साथियों के दबाव में आ गए।भले ही 24 जून, 1994 के आयोग के नोट में अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों द्वारा यह ध्यान दें और स्वीकार किया गया है कि "उचित समय पर कुंजी/क्लिपिंग को सील न करने और उचित गोपनीयता के पालन पर प्रतिबिंबित होने वाली अन्य

अनियमितताओं जैसे कई कार्य आयोग के संज्ञान में आए हैं।इसके अलावा परीक्षकों द्वारा परीक्षकों के मूल्यांकन या स्क्रिप्ट की गोपनीयता का पालन न करने जैसे चूक और कमीशन के अधिक कृत्यों को भी देखा गया है।" फिर भी आयोग के किसी भी ध्यान दें में ऐसा कोई तथ्य दर्ज नहीं किया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदेश आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण के सदस्यों से अपेक्षित न्यूनतम मानदंडों के पालन की परवाह किए बिना लापरवाही और जल्दबाजी में पारित किया गया था।द.

ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष जिन्होंने पहले आरोपों का विरोध किया था, वे भी पीड़ित हो गए और आयोग के सदस्यों के दबाव में आ गए।भले ही यह आरोप लगाया जाता है कि परीक्षा शुरू होने से ही निष्पक्ष नहीं थी, फिर भी किसी भी सदस्य द्वारा परीक्षा की निष्पक्षता या आयोग द्वारा अपेक्षित गोपनीयता का पालन न करने के बारे में अपनी टिप्पणियों या आशंकाओं को दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।आयोग के अध्यक्ष ने हालांकि अपने जवाब में कहा है कि "प्रतिवादी को प्रभावित करने का प्रयास पहली बार अक्टूबर, 1993 के महीने में किया गया था, जब लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।बाद में इन दोनों सदस्यों की ओर से कड़वाहट और शत्रुता थी।उन्होंने आयोग के तत्कालीन सचिव श्री तुली को उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अवैध तरीके से उनकी मदद करने के लिए प्रभावित करने की भी कोशिश की, जिसका उनके द्वारा भी विरोध किया गया था, "फिर भी वह उन्हें या आयोग के सचिव को प्रभावित करने के इस तरह के प्रयास का कोई ध्यान दें करने में विफल रहे।पहली बार ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका में दायर अपने जवाब में उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया था जिसमें उन्होंने विवरण या उस सीमा को दर्ज नहीं किया है जिसके लिए उन पर प्रभाव डालने का प्रयास किया गया था।आयोग के सदस्यों एस/श्री उदा राम और

शेर सिंह ने अपने जवाब में कहा किः

> "तत्काल जाँच में, परीक्षकों द्वारा भेजी गई पुरस्कार सूची की मुहर सचिव द्वारा तोड़ी गई और जब 29 दिसंबर, 1993 को सभी सदस्यों द्वारा यह बताया गया, तो अध्यक्ष ने सचिव को बुलाया और तथ्यों को सही पाया और फिर आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पुरस्कार सूची को सचिव द्वारा दो सदस्यों श्री वी. एस. चौधरी, आई. ए. एस. और प्रतिवादी प्रत्यर्थी और दोनों की उपस्थिति में नए सिरे से सील किया जाना चाहिए।बाद में, दोनों सदस्यों की जानकारी के बिना अध्यक्ष ने पुरस्कार सूची की मुहर तोड़ दी।अध्यक्ष ने 21 जून, 1994 को इसे स्वीकार किया था।"

(32) हालांकि, अध्यक्ष ने गलती से कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ पुरस्कार सूची का मिलान करने और योगों में सुधार करने आदि के संबंध में उपकर कार्य फरवरी, 1994 में शुरू हुआ जब श्री उदा राम और श्री वी. एस. चौधरी, जो एच. सी. एस. परीक्षा के विषय से संबंधित सदस्य थे, ने पुरस्कार सूची को सील करने पर जोर दिया ताकि तत्कालीन सदस्यों का इस लिखित परीक्षा परिणाम के संकलन के अभ्यास के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध हो।इसी तरह आयोग के तत्कालीन सचिव श्री टी.

आर. तुली ने अपने जवाब में कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम अनिवार्य उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति पर किया गया था।

फरवरी, 1994 के दौरान परीक्षक से मूल्यांकन के बाद पेपर और इस काम का लगभग 70 प्रतिशत 28 अप्रैल, 1994 से पहले पूरा किया गया था।उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं पर काल्पनिक अनुक्रमांक के साथ मूल अनुक्रमांक को परिवर्तित करने और फिर उन्हें सख्त गुप्त तरीके से मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को भेजने की प्रक्रिया में लगभग दो महीने लग गए।इसलिए यह नहीं समझा जा सकता है कि 29 दिसंबर, 1993 को श्री उदा राम और शेर सिंह द्वारा पुरस्कार सूची के संबंध में आपत्ति कैसे उठाई गई थी।प्रथम *दृष्टया* ऐसा प्रतीत होता है कि पुरस्कार सूची आयोग के कार्यालय में 29 दिसंबर, 1993 तक प्राप्त नहीं हुई थी, जब उपरोक्त सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने आपत्ति जताई थी और पुरस्कार सूची को सील कर दिया था, जिसके बाद उनके अनुसार उनकी अभाव में मुहर खोलकर इसका दुरुपयोग किया गया था।आयोग के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि सचिव ने 27 मई, 1994 को विभिन्न विषयों की पुरस्कार सूची को खोलना शुरू कर दिया था ताकि वे स्क्रिप्ट और परिणाम कार्ड के साथ संकलन कर सकें।

(33) आयोग के दस्तावेज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि सहायकों द्वारा

उम्मीदवार की स्क्रिप्ट में विसंगतियों को नोट किया गया था जिन्हें पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षक को भेजा गया था।परीक्षकों ने आवश्यक कार्य किए और उत्तर पुस्तिकाएँ वापस कर दीं।हालांकि, लोक प्रशासन के पेपर में, 10 स्क्रिप्ट पाए गए जिनमें उम्मीदवारों को स्क्रिप्ट में अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए स्वीकार किया गया था जो निर्देशों के खिलाफ था और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया था।उसी पेपर में एक उम्मीदवार ने आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास किया जो निर्देशों के खिलाफ था।यह भी पाया गया कि एक ही विषय में, दो उम्मीदवारों ने आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त पत्र लिए थे जिनका उपयोग नहीं किया गया था और उन्हें खाली छोड़ दिया गया था।उन्हें कुछ जुर्माना लगाने के लिए भी अनुशंसित किया गया था।

(34)283 हिंदी पेपर में उम्मीदवारों को स्क्रिप्ट में अपने रोल नंबर लिखकर अपनी पहचान का खुलासा करते हुए पाया गया जो निर्देशों के खिलाफ था और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मामले में जुर्माने के रूप में पांच अंक काटे जा सकते हैं।यह बताया जा सकता है कि हिंदी पत्र में सभी 3543 लिपियाँ थीं।

(35) दो उम्मीदवारों को राजनीति विज्ञान के पेपर में अनावश्यक रूप

से अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करते हुए पाया गया और 18 उम्मीदवारों को रोल नंबर लिखकर अपनी पहचान का खुलासा करते हुए दिखाया गया।

(36)23 समाजशास्त्र के विषय में 1127 में से लिपियों में अपनी पहचान का खुलासा किया गया था और तीन उम्मीदवारों ने आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास किया था जिसके लिए दंड की सिफारिश की गई थी।

मनोविज्ञान में 204 लिपियों में से एक उम्मीदवार ने आंशिक रूप से पेपर का प्रयास किया था, जिसके लिए उसे शून्य अंक देने की सिफारिश की गई थी।

आपराधिक कानून के विषय में, 266 लिपियों में से केवल छह लिपियाँ पाई गईं जहाँ उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था, और तीन उम्मीदवारों ने आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास किया है।सिविल लॉ में, 77 में से दो उम्मीदवारों को पेपर को आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में लुभाते हुए दिखाया गया है और दो उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया है।पर्सनल लॉ के विषय में, एक उम्मीदवार को 105 लिपियों में से आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास

करते हुए दिखाया गया है, जिसके लिए चूक करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ एक उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

गणित II में 234 लिपियों में से चार उम्मीदवारों को अपनी पहचान का खुलासा करते हुए दिखाया गया है जिसके लिए शून्य अंक देने की सिफारिश की गई थी।

(37) अर्थशास्त्र के विषय में, 435 उम्मीदवारों में से केवल तीन उम्मीदवारों ने आंशिक रूप से पेपर का प्रयास किया, जिसे निर्देशों के खिलाफ माना गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई।16 उम्मीदवारों को अर्थशास्त्र में अपनी पहचान का खुलासा करते हुए भी दिखाया गया था।

748 लिपियों में से इतिहास के विषय (1,00 (1-1,707 ईस्वी) में, 10 उम्मीदवारों को अपनी पहचान का खुलासा करते हुए पाया गया, जिसके लिए दंड की सिफारिश की गई थी।इतिहास के पेपर (1,707-1,920) में, 769 उम्मीदवारों में से 7 ने अपनी पहचान का खुलासा किया कि किस कार्रवाई की सिफारिश की गई थी और केवल एक उम्मीदवार ने आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास किया है, जिसके लिए कार्रवाई की भी सिफारिश की गई थी।

सांख्यिकी में 377 लिपियों में से केवल 18 उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था और चार ने आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास किया था, जिसके लिए कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

(38) भौतिकी में 153 में से दो उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था और रसायन विज्ञान में 120 में से चार उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था जिसके लिए उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

(39) यूरोप के इतिहास के विषय में, 50 उम्मीदवारों में से केवल एक ने आंशिक रूप से अंग्रेजी और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास किया था, जिसके लिए शून्य अंक देने की सिफारिश की गई थी।

हिंदी साहित्य के विषय में 424 उम्मीदवारों में से केवल 9 उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया है और अंग्रेजी साहित्य में 76 में से तीन उम्मीदवारों को दंड के लिए अनुशंसित किया गया है।

(41) संस्कृत में 44 लिपियों में से केवल एक उम्मीदवार ने अपनी पहचान का खुलासा किया था और दर्शनशास्त्र में 31 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने अपनी पहचान दिखाई थी; जूलॉजी में 132 में से पांच

उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था; जियोराफी में 365 में से चार उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था; एडवांस एकाउंटेंसी में 43 उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था जिसके लिए कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।इसी तरह व्यवसाय प्रबंधन विषय में, 167 में से एक उम्मीदवार ने अपनी पहचान का खुलासा किया और वनस्पति विज्ञान में, 107 में से पांच उम्मीदवारों ने; कृषि में 120 में से दो उम्मीदवारों ने और सामान्य ज्ञान में 3533 में से 81 उम्मीदवारों ने आंशिक रूप से अंग्रेजी में और आंशिक रूप से हिंदी में पेपर का प्रयास किया, जिसके लिए दंड की सिफारिश की गई थी।

(42) ऊपर दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि आयोग को लगभग 20,000 लिपियों में लगभग 600 लिपियां मिली थीं जिनमें या तो उम्मीदवारों ने अपनी पहचान का खुलासा किया था या आंशिक रूप से हिंदी और आंशिक रूप से अंग्रेजी में प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जिसके लिए गलती करने वाले उम्मीदवारों को दंडित करने की सिफारिश की गई थी।

(43) आयोग के जुझारू और विद्रोही सदस्यों, विशेष रूप से एस/श्री शेर सिंह और उदा राम ने हमारे देश में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के तहत समाज के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक कप चाय में तूफान खड़ा

करने का प्रयास किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि वे आयोग और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा पहले से किए गए कठिन प्रयासों की परवाह किए बिना परीक्षा के सफल समापन को रोकने के अपने प्रयासों में अन्य सदस्यों को जुटाने में सफल रहे हैं।सदस्यों ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि आयोग और राज्य को होने वाले भारी नुकसान के अलावा, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों ने अपनी नियमित गतिविधियों और कार्यों को स्थगित करने के अलावा अपनी कड़ी मेहनत की और भारी खर्च किए।योग्यता के आधार पर सेवा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के रूप में, बिना किसी खिंचाव या समर्थन के, न केवल निराश बल्कि निराश भी प्रतीत होते हैं।आयोग के सदस्यों ने अपने घमंड और व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अनावश्यक रणनीति का सहारा लिया।उन्होंने कोई पत्थर नहीं छोड़ा

विशेष रूप से इसके आचरण में कथित रूप से की गई अवैधताओं या अनियमितताओं की ओर इशारा किए बिना परीक्षा के परिणाम के पूरा होने को विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।आयोग के अध्यक्ष सहित आयोग के सदस्यों की कार्रवाई की किसी भी प्रतिध्वनित व्यक्ति द्वारा सराहना नहीं की जा सकती है और जिस तरह से उन्होंने सड़कों पर गंदे लिनन को धोने की कोशिश की, वह अत्यधिक निंदनीय है।

(44) आयोग के अध्यक्ष, यद्यपि इससे पहले भी खड़े थे, उपरोक्त सदस्यों के अनावश्यक दबाव के सामने तब मान गए जब परीक्षा नियंत्रक ने उन्हें परीक्षा की गोपनीयता का पता लगाने के उद्देश्य से कथित रूप से आवश्यक रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, जो स्पष्ट रूप से 21 जून, 1994 को तैयार किया गया था और शुरू किया गया था।आयोग के सदस्य हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संवैधानिक योजना के तहत उन्हें सौंपे गए या उनसे अपेक्षित कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे।आयोग समग्र रूप से उन उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहा, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की थी और अपनी आंखें जला दी थीं।कुछ चूक आदेश वाले सदस्य और आयोग अपनी खाल बचाने और उस क्रोध से बचने के लिए जो अंततः उन पर लाया गया था, अपनी देनदारियों से खुद को मुक्त आदेश के लिए अपने इस्तीफे देकर मैदान से भाग गए।एस/श्री शेर सिंह और ऊदा राम, सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वे अभी भी आयोग के हितों के खिलाफ अपनी बंदूकें पकड़े हुए हैं और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर संस्थान को बदनाम किया था, अपने पदों को छोड़ने के लिए भी अनिच्छुक थे।अपनी पहचान का खुलासा करने या अन्य अनियमितताओं का प्रयास करने के लिए दोषी पाए गए उम्मीदवारों की

संख्या नकारात्मक पाई गई थी, जिसे मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षा का सामान्य नुकसान कहा जा सकता है।इसका मतलब यह नहीं है कि हम चूक करने वाले उम्मीदवारों की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं या परीक्षा की पवित्रता को प्रदूषित करने के इरादे वाले ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने से आयोग को हतोत्साहित करने का इरादा रखते हैं।हालाँकि, हम प्रचलित स्थिति और परिस्थितियों या परमाणु मंडल से भी अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते हैं जिसमें विवाद में परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था।पूरी परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई करने से पहले आयोग को परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और निष्पक्ष और निष्पक्ष परिणाम के साथ इसकी पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश पारित करने *चाहिए थे।आयोग ने* कुमारी *अनामिका मिश्रा बनाम यू. पी.* लोक सेवा आयोग (1) में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसमें यह बताया गया था कि जब लिखित परीक्षा के संबंध में कोई दोष नहीं दिखाया गया था और एकमात्र आपत्ति सफल लोगों के एक समूह के बहिष्कार तक सीमित थी।

(1) ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 461.

साक्षात्कार से लिखित परीक्षा में उम्मीदवार, भर्ती परीक्षा के लिखित भाग

को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था, दूसरी ओर, भर्ती को अलग करके और लिखित परीक्षा के आधार पर सभी योग्य उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार के लिए पूछकर और लिखित और नए साक्षात्कार के आधार पर चयन के लिए पात्र होने वालों का चयन करके स्थिति को उचित रूप से पूरा किया जा सकता था।उच्चतम न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि लोक सेवा आयोग को इस मामले से निपटने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी ताकि भर्ती की प्रक्रिया में बिताए गए वर्षों का नुकसान न हो और सार्वजनिक कार्य प्रभावित न हो; जो पहले किया गया था उसे फिर से करने की आवश्यकता में सार्वजनिक समय बर्बाद न हुआ होता और मुकदमेबाजी से बचा जा सकता था।उस मामले में अदालत ने पाया कि भर्ती परीक्षा के लिखित भाग को रद्द करने और उम्मीदवारों को मुकदमेबाजी के लिए मजबूर करने का कोई औचित्य नहीं था।

पक्षकारों की दलीलों, आयोग के अध्यक्ष सहित आयोग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत जवाबों और आयोग के रिकॉर्ड को बारीकी से देखने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस विवादित आदेश द्वारा परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया गया था, उसे अत्यंत लापरवाही और लापरवाही से पारित किया गया था।चूक और कमीशन के कृत्यों की कथित संख्या लगभग अस्तित्व में नहीं थी।आयोग के अभिलेख में

परिलक्षित अनियमितताएं, जो पैकेट संख्या 36 में निहित हैं, परीक्षा की कथित उचित गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सामान्य और सामान्य प्रकृति की थीं।मूल परीक्षकों के अलावा अन्य परीक्षकों द्वारा स्क्रिप्ट की संख्या का मूल्यांकन नगण्य था जिसे पूरी परीक्षा को रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था।यदि आयोग के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाते तो इस तरह की चूक या अनियमितताओं से बचा जा सकता था या उन्हें ठीक किया जा सकता था।

आयोग का यह दावा कि परीक्षा को रद्द करने का आदेश निष्पक्षता, निष्पक्षता, न्यायाधीश और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के हित में पारित किया गया था, बिना किसी तथ्य के है और आयोग के रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है।

(46) प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित लियरलेर्नड-ऑन-काउंसल ने उनके जवाबों में आपत्तियां उठाए जाने के बावजूद रिट याचिकाओं की स्थिरता के बारे में तर्कों को संबोधित नहीं किया।दलीलें इस धारणा के साथ शुरू हुईं कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और न्यायालय के पास उचित राहत देने का अधिकार क्षेत्र था।

(47) इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भले ही प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के संबंध में विवाद को दिए गए तथाकथित प्रचार के कारण लिखित परीक्षा को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन अंतिम चयन की शुद्धता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के हित में परीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए कुछ सुरक्षा गार्ड प्रदान करने और उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने और लोक सेवा के रोजगार के लिए सौंपे गए आयोग की संस्था में आम आदमी का विश्वास जगाने के लिए, हम एतद्द्वारा उस विवादित आदेश को रद्द करते हैं जिसके द्वारा पूरी लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन निम्नलिखित निर्देशों के साथः–

(a) 15 अक्टूबर, 1993 के बाद की गई सभी कार्रवाई जो विवाद का आधार बन गई हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया माना जाएगा।

(b) कुंजी, क्लिपिंग तैयार करने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी और उत्तर पुस्तिकाओं पर उल्लिखित पहले के काल्पनिक रोल नंबरों को हटा दिया जाएगा।परीक्षा की गोपनीयता और शुद्धता बनाए रखने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

(c) काल्पनिक अनुक्रमांक वाली उत्तर पुस्तिकाओं को नए परीक्षकों को पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा, जिन्हें अलग-अलग स्याही का उपयोग करके पूर्ववर्ती परीक्षकों द्वारा दिए गए पहले के अंकों से प्रभावित हुए बिना अलग-अलग अंक देने का निर्देश दिया जाता है और पहले दिए गए अंकों को ठीक से शामिल किया जाएगा।

(48) पुनर्मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएँ भेजने से पहले, ऐसी लिपियाँ जो किसी भी तरह से किसी भी उम्मीदवार की पहचान का खुलासा करती हैं, उन्हें बाहर रखा जाएगा और उस परिणाम में उनके कागजात रद्द माने जाएंगेः

(d) पुरस्कार सूची के साथ उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति के बाद, योग की जांच के लिए चिह्नित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, उत्तर पुस्तिका के सार और *मुख्य* भाग में अंकों का मिलान, अचिह्नित भागों का पता लगाना, विभिन्न संक्षिप्त सारों से प्रयास किए गए प्रश्नों का पता लगाना, उम्मीदवारों की पहचान का खुलासा करने और स्क्रिप्ट में सुधार करने के किसी भी प्रयास का पता लगाना, ऐसे सभी उम्मीदवारों का परिणाम

काल्पनिक रोल नंबरों के साथ उम्मीदवारवार तैयार किया जाएगा।

(e) 'चाबी और क्लिपिंग' तैयार करने के बाद, उपरोक्त चाबी और क्लिपिंग को सील कर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा और एक साई अभिरक्षा में रखा जाएगा।

योग्यता-वार परिणाम प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(f) पुनर्मूल्यांकन और निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया

(क) से (ङ) ऊपर पंजाब लोक सेवा आयोग, पटियाला द्वारा किया जाएगा जो इस निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार और प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्य करेगा।टी. लिखित परीक्षा को पूरा करने की प्रक्रिया को यथासंभव तेजी से और अधिमानतः तीन महीने के भीतर किया जाएगा।

(g) पुनर्मूल्यांकन और परिणाम के संकलन की प्रक्रिया में शामिल खर्च हरियाणा लोक सेवा आयोग की लागत और खर्च पर होगा जो मांग पर पंजाब लोक सेवा आयोग को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(h) मामले में जब्त रिकॉर्ड जिला और सत्र न्यायाधीश (वी. जी.) द्वारा सौंपा जाएगा। हरियाणा ने पंजाब लोक सेवा आयोग

पटियाला के सचिव को आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर एक उचित **रसीद** के खिलाफ;

(i) योग्यता सूची तैयार करने के बाद, अध्यक्ष।पंजाब लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह उक्त आयोग के सदस्यों द्वारा उचित साक्षात्कार का आयोजन सुनिश्चित करे और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ सदस्यों की सहायता ले और चयन को अंतिम रूप दे।

(j) चयन को अंतिम रूप देने के बाद, अभिलेख तीन महीने के बाद सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग को वापस कर दिया जाएगा, जब तक कि किसी भी न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

(49) 1 आयोग के सभी सदस्य, 2 थर्चाई सहित, उन लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जिनका आकलन ई. एस. की दर से किया जाता है। 5, 000 प्रत्येक।लागतों को एक महीने के भीतर पंजीकरण में अंकित किया जाएगा।कुल राशि जमा करने के बाद उसका भुगतान हरियाणा कानूनी सहायता प्रकोष्ठ को किया जाएगा।

(50) इन निर्देशों को एनई, एल 'पर आक्षेप नहीं माना

जाएगा।हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन।

(51) इन निर्देशों की एक प्रति तुरंत अध्यक्ष, पंजाब लोक सेवा आयोग, पटियाला को उचित निर्देशों और अनुपालन के लिए प्रदान की जाएगी।

एस. के.

इससे पहले माननीय एस. एस. ग्रेवाल *और एम. एल. कौल, जे. जे.*

एसएमटी। क्यूडी देवी,-याचिकाकर्ता, *बनाम*

राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा और अन्य-उत्तरदाता।

1994 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 18057।

20दिसंबर, 1994।

हरियाणा पन्हायती राज अधिनियम, 1994-किसी *कैइडीडाई के नामांकन पत्र-नामांकन पत्रों की अस्वीकृति या स्वीकृति अधिनियम के तहत निर्दिष्ट आधार नहीं है-चुनाव याचिका की क्षमता।*

यह मात्र तथ्य कि न तो अधिनियम के तहत और न ही राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अवैध अस्वीकृति या नामांकन पत्रों की अवैध स्वीकृति या निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति से

पहले मतदाता सूची तैयार करने में की गई अवैधता या अनियमितताओं के खिलाफ कोई उपाय प्रदान किया गया है, हमारे विचार में चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद के चरण में चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए प्रभावित पक्ष को चुनाव याचिका में ऐसी सभी आपत्तियों को उठाने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा।बल्कि इस तरह की व्याख्या जो हमने ली है, वह पूरी चुनाव प्रक्रिया को तेजी से और बिना किसी अनुचित देरी के पूरा करने के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप है और निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया को अनुसूची के अनुसार आयोजित करने में सहायक होगी।चुनाव प्रक्रिया में की गई गलतियों, अनियमितताओं या अवैधताओं को निश्चित रूप से बाद के चरण में ठीक किया जा सकता है जब प्रभावित पक्ष सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करता है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता के वकील संजीव श्योराण के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता *एच. एस. हुड्डा।*

एच. एल. सिब्बल, महाधिवक्ता (अरुण नेहरा अतिरिक्त महाधिवक्ता)।ए. जी. हरियाणा उनके साथ) नंबर 1 से 4 के लिए।

सी. बी. कौशिक, प्रतिवादी के लिए नंबर 5 और *6 के लिए अधिवक्ता*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा

Smt. Cuddi Devi v. The State Election Commissioner, Haryana and others (E. P. Sethi, J.)